न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 13/2021

1. राकेश कुमार आयु 55 वर्ष पुत्र अजीत सिंह जाति जाट, निवासी मारिगसर, तहसील व जिला झुंझुनू।
2. इन्द्रपाल आयु 62 वर्ष पुत्र भगवानाराम जाति जाट, निवासी मारिगसर, तहसील व जिला झुंझुनू।
3. हीरालाल आयु 58 वर्ष पुत्र केशर राम जाति जाट, निवासी मारिगसर, तहसील व जिला झुंझुनू।
4. रामनिवास आयु 60 वर्ष पुत्र शीशपाल जाति जाट, निवासी मारिगसर, तहसील व जिला झुंझुनू।
5. रणवीर आयु 47 वर्ष पुत्र गोरूराम, जाति जाट, निवासी मारिगसर, तहसील व जिला झुंझुनू।
6. संजय कुमार आयु 30 वर्ष पुत्र गिरधारीराम जाति जाट, निवासी मारिगसर, तहसील व जिला झुंझुनू।
7. रामनिवास आयु 59 वर्ष पुत्र कुरड़ाराम जाति नाई निवासी मारिगसर, तहसील व जिला झुंझुनू।

—प्रार्थी/अपीलार्थी

—बनाम—

1. दर्शन सिंह आयु 60 पुत्र केशरीसिंह जाति राजपूत निवासी मारिगसर तहसील व जिला झुंझुनू।
2. रमेश सिंह आयु 50 वर्ष पुत्र श्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी मारिगसर तहसील व जिला झुंझुनू।
3. महेन्द्र सिंह आयु 47 वर्ष पुत्र श्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी मारिगसर तहसील व जिला झुंझुनू।
4. श्याम सिंह आयु 40 वर्ष पुत्र श्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी मारिगसर तहसील व जिला झुंझुनू।
5. नरेन्द्र सिंह आयु 52 वर्ष पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी मारिगसर तहसील व जिला झुंझुनू।
6. दिनेश सिंह आयु 50 वर्ष पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी मारिगसर तहसील व जिला झुंझुनू।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

7. सजेन्द्र सिंह आयु 45 वर्ष पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी मारिगसर तहसील व जिला झुंझुनू।
8. विजेन्द्र सिंह आयु 40 वर्ष पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी मारिगसर तहसील व जिला झुंझुनू।
9. श्रीमती भंवर कंवर आयु 65 वर्ष पत्नी मदन सिंह जाति राजपूत निवासी मारिगसर तहसील व जिला झुंझुनू।
10. मु. सुमन कंवर आयु 35 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी मारिगसर, तहसील व जिला झुंझुनू।
11. मु. रेणु कंवर आयु 30 वर्ष जाति राजपूत, निवासी मारिगसर, तहसील व जिला झुंझुनू।
12. जय मां जमुवाय माइन्स एण्ड मिनरलस जरिये पार्टनर दर्शनसिंह पुत्र केशरी सिंह, जाति राजपूत निवासी मारिगसर तहसील व जिला झुंझुनू।
13. लैण्ड होल्डर तहसीलदार,झुंझुनू।

– अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टस

अपील/ प्रार्थना पत्र विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 13.01.2016
मु0नं. 36/2013 पत्रावली उनवानी हनुमान सिंह बनाम राजस्थान सरकार
बअदालत उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू बाबत भूमि खसरा नंबर 161 रकबा 3.24
हैक्टर वाके ग्राम मारिगसर तहसील झुंझुनू ।

उपस्थितिः–

1. श्री सूरजभान सिंह एवं श्री शिवनारायण सिंह एडवोकेट – प्रार्थी/अपीलांट की ओर से ।
2. श्री संदीप काजला, एडवोकेट ––––––अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट सं0 1 से 12 की ओर से।
3. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता –– अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट सं. 13 राज्य की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 05.10.2021

उक्त उनवानी अपील /प्रार्थना पत्र, राजस्थान भू राजस्व आलोटमेंट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीक्लचर प्रपेपेज नियम 1970 के नियम 14 (4) विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 13.01.2016 मु0 नं0 36/2013 पत्रावली उनवानी हनुमान सिंह बनाम राजस्थान सरकार बअदालत उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू बाबत भूमि खसरा नंबर 161 रकबा 3.24 हैक्टर वाके ग्राम मारिगसर तहसील झुंझुनू के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर झुंझुनू के समक्ष पेश की गई। जहां से आदेश दिनांक 19.02.2021 द्वारा स्थानान्तरित की जाकर हाजा न्यायालय को प्राप्त हुई। अपील प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ग्राम मारिगसर के निवासीगण हैं। अपीलांट नंबर 3 की खातेदारी का खेत खसरा नंबर 172 वाके ग्राम मारिगसर स्थित है जिसके दक्षिण में सटकर खसरा नंबर 161 रकबा 3.24 हैक्टर गैर मु. पहाड़ चरागाह स्थित है जिसमें गांव मारिगसर के आम निवासीगण स्मर्णातीत समय से लगातार आज तक अपना पशुधन चराते आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

रहे हैं तथा इसके अलावा ग्राम वासियान व आस–पास के गांवों के लोगा इस गै.मु. पहाड़ में से अपनी आवश्यकतानुसार पत्थर–बजरी आदि ले जाकर मकान आदि के निर्माण में काम में लगातार लेते रहे हैं। रेस्पोडेंट नंबर 1 लगायत 12 का इस चारागाह खसरा नंबर 161 तादादी 3.24 हैक्टर वाके ग्राम मारिगसर से कभी कोई व्यक्तिगत संबंध किसी प्रकार नहीं रहा । ग्रामवासियान की भांति रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगायत 11 भी इस गै.मु. पहाड़ (चारागाह) हेतु को अपने धन पशु आदि चराने को काम में लेते हैं।

उक्त जमीन नया खसरा नंबर 161 तादादी 3.24 हैक्टर वाके ग्राम मारिगसर गै.मु. पहाड़ का सेटलमेंट से पूर्व पुराना खसरा नंबर 82 तादादी 12 बीघा 16 विश्वा वाके ग्राम मारिगसर रहा। राजस्व भूमियों को राजस्व रिकार्ड जागीरदारी के समय में सम्वत 1992–93 में पैमाईश के बाद मिसल हकियत सम्वत् 1999 बनी। इससे पहले राजस्व भूमियों का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। मिसल हकीयत 1999 के अवलोकन से पुराना खसरा नंबर 82 तादादी 12 बीघा 16 विश्वा मकबूजा ठिकाना दर्ज है। ग्राम मारिगसर ठिकाना मण्ड्रेला की जागीरदारी में रहा है। जागीरदारी उन्मूलन अधि0 1952 से ठिकाना मण्डेला के ठाकुर जसवंत सिंह व अन्य जोधसिंह, भैरूसिंह, जतन सिंह व सुगन सिंह का गांव मारिगसर की जागीरदारी में 1/2 पाना व शेष में 1/2 पाना मंडेला ठिकाना के पृथ्वीसिंह पुत्र गंगा सिंह का था। उक्त जसवंत सिंह का भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व ही देहान्त हो चुका था। जागीरदारी उन्मूलन के समय उक्त जसवंत सिंह का पुत्र मूलसिंह ग्राम मारिगसर में जमीन पुराना खसरा नंबर 75 तादादी 5 बीघा 1 विश्वा व खसरा नंबर 77 तादादी 9 बीघा 16 विश्वा काश्त करने लगा था। जमीन पुराना खसरा नंबर 75 व 77 की जमाबंदी सम्वत 2012 में इस जमीन का उक्त मूल सिंह उपकृषक दर्ज है, जो बाई ऑपरेशन ऑफ ला बाद में इस जमीन खसरा नंबर 75, 77 का खातेदार काश्तकार हो गया। उक्त तथ्य से भी यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि पुराना खसरा नंबर 82 तादादी 12 बीघा 16 विश्वा वाके ग्राम मारिगसर जिसके हाल खसरा नंबर 161 तादादी 3.24 हैक्टर वाके ग्राम मारिगसर है । रेस्पोंडेंट्स नंबर 1 लगायत 11 या इनके पूर्वजों का कोई संबंध किसी प्रकार का होना इस भूमि के राजस्व अभिलेख से प्रकट नहीं होता । जागीरदारी उन्मूलन अधि0 1952 के प्रावधानों के अनुसार जागीरदार समाप्त की जाकर ठिकाना खालसा हो गये तथा ठिकाना खालसा होने के बाद ठिकाना के कब्जेशुदा तमाम भूमियां राज्य सरकार में निहित हो गई । राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 प्रभाव में आया तब राजस्व भूमियों की प्रथम जमाबंदी सम्वत 2012 से 2015 तक बनी जिसमें जमीन पुराना खसरा नंबर 82 तादादी 12 बीघा 16 विश्वा वाके ग्राम मारिगसर गैर मु. पहाड़ी (चारागाह) दर्ज करते हुए कृषि के लिए नहीं बताया गया है तथा इसे चराई के योग्य दर्शाया जाकर इसे पहाड़ / पहाड़िया होना दर्ज किया है। जमाबंदी सम्वत 2012 से 2015 तक में भी इस भूमि के रेस्पोंडेटस स्वयं या इनके पूर्वजों की खातेदारी में होना या

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

उनके मालिकाने अधिकार की होना कहीं भी नहीं दर्शाया गया है। उसके बाद की लगातार बनी जमाबंदियों सम्वत 2016 से 2019, सम्वत 2020 से 2023, सम्वत 2024 से 2027, सम्वत 2028 से 2032, सम्वत 2032 से 2035 व सम्वत 2041 से 2044 तक में इसकी किश्म गै.मु. पहाड़ (चारागाह) हेतु राजकीय खाता में दर्ज रहीं है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 में भी इस भूमि को कभी रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगायत 11 अथवा इनके पूर्वजों के नाम से कभी भी खातेदारी दर्ज की जाकर इनके द्वारा काश्त किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंटस नंबर 1 लगायत 11 का पुराना खसरा नंबर 82 तादादी 12 बीघा 16 विश्वा भूमि से कभी कोई सरोकार नहीं रहा। नये सेटलमेंट के दौरान जमीन पुराना खसरा नंबर 82 तादादी 12 बीघा 16 विश्वा वाके ग्राम मारिगसर के नये खसरा नंबर 161 तादादी 3.24 हैक्टर ग्राम मारिगसर डाले गये। सेटलमेंट के दौरान 1992–93 में नक्शा ट्रेस किश्तवार बनाया गया है। जिसमें भूमि खसरा नंबर 161 को यथास्थान दर्शाया गया है तथा खसरा नंबर 161 के उतर में सटकर अपीलांट नंबर 3 की खातेदारी का खेत खसरा नंबर 172 को यथा स्थान दर्शाया गया है। नये सेटलमेंट के दौरान खतौनी सम्वत 2060–2080 तक सेटलमेंट विभाग के द्वारा तैयार की गई। जिसमें सेटलमेंट अधिकारी ने इस चारागाह की भूमि खसरा नंबर 161 तादादी 3.24 हैक्टर गै.मु. पहाड़ को गलत रूप से बिना अधिकार के सिवाय चक भूमि के खाते में अंकित कर दिया परन्तु उसके बाद की इस जमीन खसरा नंबर 161 की जमाबंदियों सम्वत 2060 से 2063 सम्वत 2062 से 2065, सम्वत 2066 से 2069 सम्वत 2070 से 2073 इस भूमि के कृषक कालम में पहाड़ी तथा पर्वत (चारागाह) हेतु दर्ज किया जाता रहा है। धारा 16 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट सनू 1955 के प्रावधानों के अनुसार किसी चारागाह की भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार पैदा नहीं होते। चारागाह की भूमि केवल चारागाह के रूप में ग्रामवासियान द्वारा सार्वजनिक उपयोग उपभोग मेंही लिया जा सकता है तथा इस प्रकार की भूमि में किसी व्यक्ति विशेष को उसके किसी प्रकार के कोई व्यक्तिगत अधिकार के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। कानून की उक्त व्यवस्था के बावजूद रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगायत 11 व रेस्पोंडेंट नंबर 5 लगायत 7 के पिता हनुमान सिंह ने राजस्व अधिकारियों से मिलिभगत कर इनकी सलाहनुसार कुछ प्रक्रियाऐं अमल में लाई जाकर एक पत्रावली उनवानी हनुमानसिंह वगैरह बनाम राज0 सरकार प्रकरण संख्या 36/2013 अं0 धारा 136 राज0 लैंड रेवेन्यू एक्ट में दिनांक 13.1.2016 को उक्त चरागाह की भूमि खसरा नंबर 161 तादादी 3.24 हैक्टर गै.मु. पहाड़ वाके मारिगसर को अप्रार्थीगण नंबर 5 से 7 के पिता हनुमान सिंह मदन सिंह के वारिसान नंबर 8 लगायत 11 के हक में आवंटित/नियमन किये जाने का आदेश करवा लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जहां सेटलमेंट के दौरान किसी भूमि के राजस्व रिकार्ड में कोई लिपिकीय त्रुटि हो गई हो तो सेटलमेंट का कार्य

बंद हो जाने के बाद लैंड रिकार्ड आफिसर को इस प्रकार की केवल लिपिकीय त्रुटि में संशोधन करने का अधिकार है। परन्तु कानून के इस प्रावधान के तहत लैंड रिकार्ड आफिसर किसी व्यक्ति को किसी जमीन के खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकता। प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण राजकीय मशीनरी ने चरागाह की भूमि खसरा नंबर 161 तादादी 3.24 हैक्टर वाके ग्राम मारिगसर का अनुचित लाभ रेस्पोंडेंटस नंबर 1 लगायत 11 को पंहुचाने की दिशा में दिनांक 01.7.2015 को उपखंड अधिकारी झुंझुनू ने आदेश पारित किया कि इस भूमि के नियमन/ आवंटन हेतु कमेटी गठित कर प्रकरण को यथा शीघ्र लोक अदालत कैम्प में रखा जावे। पटवारी, गिरदावर हल्का, तहसीलदार झुंझुनू उपखंड अधिकारी झुंझुनू ने आपस में मिलकर सरपंच ग्राम पंचायत व वार्ड पंच आदि से साजिश कर दिनांक 30.12.2015 को चरागाह की भूमि को नियमित कर रेस्पोंडेंटस नंबर 1 लगायत 11 के हक में आवंटित किये जाने की अभिशंषा की जाने पर अदालत मातहत ने दिनांक 13.1.2016 को राजस्व विभाग के निर्देशों एवं राजस्थान भू–राजस्व नियम 1963 का हवाला देते हुये भूमि खसरा नंबर 161 रकबा 3.24 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ का आवंटन किये जाने का आदेश दिया गया तथा रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगायत 11 को उक्त भूमि का मालिकाना अधिकार दिये जाने का भी विधि विरूद्ध आदेश दिया तथा अलोच्य आदेश दिनांक 13.1.2016 में रेस्पोंडेंट को उक्त भूमि को किसी को विक्रय नहीं करने का आदेश देते हुये रेस्पोंडेंट नंबर 13 तहसीलदार झुंझुनू को उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद कर आदेश की पालना करने का भी आदेश दिया। उक्त पत्रावली उपलब्ध नहीं हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित दोषी अधिकारी, कर्मचारी ने अपनी गैर कानूनी कारिस्तानी के उजागर होने पर अपने खिलाफ कानूनी कार्यवाही से भयभीत होकर उक्त पत्रावली नष्ट कर अपने खिलाफ समस्त सबूत समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। न्यायालय श्रीमान तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता चौधरी के विरूद्ध उसके कार्यकाल की गतिविधियों के लिए जांच की जाकर उसे दोषी ठहराते हुये माकूल कार्यवाही के आदेश भी सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये हैं। कानून से प्रकरण की परिस्थितियों में उक्त आवंटन एब इनिसियों नल एण्ड वोईड होने से उक्त आवंटन दिनांक 13.01.2016 के आधार पर रेस्पोंडेंटस नंबर 1 लगायत 11 को विवादित चरागाह की उक्त भूमि में किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते।

अपीलांट/प्रार्थी का कथन है कि गैरकानूनी आवंटन आदेश की अनुपालना में भूमि खसरा नंबर 161 तादादी 3.24 हैक्टर वाके ग्राम मारिगसर का नामांतरण पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 25.2.2016 को पुर किया जाकर उसी दिन भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट भी आवंटन आदेशानुसार अंकन को सही दर्शाया गया है। उक्त नामांतरकरण की कोई संख्या व ग्राम का नाम तक नहीं प्रकट किया गया है। उक्त नामांतरकरण की उपलब्ध करवाई गई

Signature Not Verified
Digitally Signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:30:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि में जिस कालम में खसरा नंबर 161 दर्शाया गया है, उसका कॉलम नंबर 4 में रकबा 3.24 हैक्टर, कालम नंबर 5 में इस भूमि की किस्म गै.मु.पहाड़ दर्शाया जाकर कालम नंबर 7 में राजकीय पहाड़ी तथा पर्वत दर्शाते हुये राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार चरागाह हेतु दर्ज किया गया है। कालम नंबर 8 में 45/2074–2077 कालम नंबर 9 काश्तकार के कालम में रेस्पोंडेंट नंबर 5 से 7 के पिता हनुमानसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी, तहसीलदार व अन्य संबंधित व शेष रेस्पोंडेंट नंबर 1 को काटा जाना भी स्पष्ट होता तथा इसी कालम में रेस्पोंडेंट का अपना अपना हिस्सा होने भी प्रकट किया गया है। उक्त सभी प्रकार की अनियमितताओं से इस चरागाह की भूमि के आवंटन की प्रक्रिया से आगे उसकी ताईद में तस्दीक किये गये नामांतरकरण की समस्त कार्यवाही में इस प्रक्रिया में भाग लेने वाली सम्पूर्ण मशीनरी का ही बेईमानी में शरीक होना स्पष्ट होता है। इसी संदर्भ में नामांतरकरण के कालम नंबर 10 में पुनः खसरा नंबर 161 का उल्लेख कर कालम 11 में जमीन का रकबा 3.24 हैक्टर कालम 12 में इस भूमि की किस्म गै.मु0 पहाड़ दर्ज है। इस नामांतरकरण के कालम 14 में चरागाह राजकीय पहाड़ दर्ज है। इस नामांतरकरण के कालम नंबर 14 में चरागाह राजकीय पहाड़ से रेस्पोंडेंटस नंबर 1 लगायत 11 के नाम से नामांतरकरण दर्ज किये जाने का आधार न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2016 व उसके फलस्वरूप तहसीलदार के आदेश का हवाला भी दिया गया है।

प्रार्थी/अपीलांट का कथन है कि न्यायालय के आवंटन आदेश दिनांक 13.1.2016 का अवलोकन किया जावे तो इसमें उक्त आवंटन राजस्व विभाग के निर्देशों एवं राजस्थान भू राजस्व नियम 1963 के अनुसरण में उक्त चरागाह भूमि खसरा नंबर 161 रकबा 3.24 हैक्टर वाके ग्राम मारिगसर को रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगायत 11 के हक में आवंटित किया जाना बताया गया है। उक्त आवंटन आदेश में राजस्व विभाग के किसी दिशा–निर्देश का कोई हवाला नहीं है। जहां तक राजस्थान भू–राजस्व नियम सन 1963 का प्रश्न है जो भी पूर्णतया अस्पष्ट है। क्योंकि राजस्थान भू–राजस्व नियम 1963 एक (Allotment of unoccupied govt. Agricultural lands for the construction of schools colleges, Dispansaries Dhoram salas and other buildings of public utility) में चरागाह की भूमि जिसका उपयोग सार्वजनिक रूप से हो रहा है, उसे आवंटित नहीं किया जा सकता। दूसरा एक अन्य राजस्थान भू–राजस्व नियम सन 1963 का प्रश्न है, इसमें Permanent Allotment of evacuee Agricultural lands को आवंटित किया जा सकता है। भूमि खसरा नंबर 161 तादादी 3.24 हैक्टर वाके ग्राम मारिगसर गैर मु. पहाड़ चरागाह की भूमि है जो evacuee भूमि की श्रेणी में नहीं है तो इसे रेस्पोंडेंटस को आवंटित नहीं किया जा सकता था। संभवतः यही कारण है कि आवंटन अधिकारी ने मात्र राजस्व विभाग के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

दिशा–निर्देशों एवं राजस्थान भू राजस्व नियम 1963 दर्ज कर दिया तथा संबंधित नियमों का खुलासा नहीं किया गया । इस प्रकार रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगायत 11 के हक में किया गया आवंटन दिनांक 13.01.2016 प्रारम्भ से ही अवैध व विधि विरूद्ध है जिसे किसी सक्षम न्यायालय से अवैध घोषित करवाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आवंटन आदेश दिनांक 13.01.2016 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि इस आलोच्य आदेश के द्वारा रेस्पोंडेटस को मालिकाना हक भी दे दिया गया जबकि खातेदारी की भूमि में आवंटी को केवल खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं तथा मालिकाना हक राज्य सरकार का ही रहता है। आदेश दिनांक 13.1.2016 के अवलोकन से आवंटित भूमि को विक्रय किये जाने का कोई अधिकार नहीं दिया जाकर विक्रय करने को विशेषतोर पर निषेध किया गया है। इसके बावजूद रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगायत 11 ने आपस में साजिस करके इस चरागाह की भूमि खसरा नंबर 161 तादादी 3.24 हैक्टर वाके मारिगसर को हड़पने की दिशा में एक फेक फर्म जय मां जमुवाय माईन्स एण्ड मिनरलस बनाई तथा रेस्पोंडेंटस नंबर 1 लगायत 11 ने उक्त भूमि में कुछ भाग उक्त फर्म के नाम से स्थानान्तरित कर दिया जिसका खसरा नंबर 498/161 तादादी 1.32 हैक्टर गै0 मु0 पहाड़ डालते हुये इस भूमि को उक्त फर्म के नाम से राजस्व रिकार्ड पर बतौर खातेदार दर्ज करवा लिया तथा शेष भूमि का खसरा नंबर 499/161 तादादी 1.92 हैक्टर वाके ग्राम मारिगसर जिसका राजस्व रिकार्ड रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगायत 11 के नाम से बतौर खातेदार दर्ज करवा लिया। फर्म रेस्पोंडेंट नंबर 12 के नाम से राजस्थान खनीज विभाग से कोई लीज प्राप्त किया जाना बताया जा रहा है जिसके संबंध में दस्तावेज की नकलें प्राप्त की जा रही है, जो बाद में प्रस्तुत कर दी जायेंगी। रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगायत 11 व रेस्पोंडेंट नंबर 12 के बीच कोई विभाजन भी इस चरागाह की भूमि का किया जाना नहीं पाया गया है जो इस जमीन की जमाबंदी व पटवारी हल्का द्वारा उपालब्ध करवाई गई नकल नक्शा ट्रेस से प्रकट होता है। विवादित भूमि के हमेशा से चरागाह की भूमि होने से व इस भूमि को चरागाह के रूप में काम में लेने से कानून से रेस्पोंडेंटस नंबर1 लगायत 12 को उक्त समस्त प्रकिया के बावजूद इस भूमि के बाबत किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते।

प्रार्थी का कथन है कि सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड अभिलेख से जमीन खसरा नंबर 161 तादादी 3.24 हैक्टर वाके ग्राम मारीगसर गैर मु0 पहाड़ चरागाह दर्ज रहीं है। चरागाह की भूमि हमेशा ग्राम वासियान मारीगसर के द्वारा अपने पशुधन चराने के उपयोग में ली जाती रही है। इस भूमि का कभी भी रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगायत 11 [illegible] इस भूमि के एक भाग को रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगायत 11 द्वारा रेस्पोंडेंट नंबर 12 [illegible] अवैध रूप से बेचान किये जाने पर रेस्पोडेंट नंबर 12 का या रेस्पोडेंट नंबर [illegible] के किसी पूर्वज का कभी भी किसी प्रकार से कोई सरोकार नहीं रहा। असल में यह भूमि ठिकाना मण्ड्रेला के जागीरदार जसवंत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

सिंह, जोध सिंह वगैरह व पृथ्वीसिंह पुत्र गंगासिंह की जागीरदारी में रही जिसमें उक्त जसवंत सिंह वगैरा का 1/2 पाना व उक्त पृथ्वी सिंह का 1/2 पाना रहा । यह जमीन उक्त जागीरदार की खुदकाश्त जमीन कभी नहीं रही जो जागीरदारी खालसा के बाद उक्त जसवंत सिंह या उसके वारिसान की खातेदारी में हो सकती। जहां तक इस गैर मु0 पहाड़ी पर बने मकानात का प्रश्न है जिन्हें रेस्पोंडेंटस द्वारा अपने पूर्वजों का गढ होना बताया गया है, वे मकानात डाकू दोलत सिंह के द्वारा ब्रिटिश काल में बनवाये गये थे। झुंझुनू जिले में ग्राम दोलतपुरा भी उक्त डाकू दोलत सिंह द्वारा अपने नाम पर बसाया गया था। उक्त दोलत सिंह डाका डालने के बाद इसी विवादित पहाड़ी पर आकर अपने द्वारा उक्तानुसार बनाये हुये मकानों में रहते थे। किसी मुसलमान नवाब के सहयोग से उक्त दोलत सिंह ने पहाड़ी की तलहटी में दो तोपे भी लगाई हुई थी, जिनका वक्त जरूरत वह उपयोग करता था। उक्त दोलत सिंह के मरने के बाद इस पहाड़ी पर बने मकानात या तथाकथित गढ में कभी कोई नहीं रहता तथा विवादित जमीन समर्णतीत समय से ग्राम वासियान के द्वारा चरागाह के रूप में अपने धन पशु चराने के उपयोग उपाभोग में लिया जाता रहा है। अदालत मातहत ने विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख मिसल हकियत सम्वत 1999 से अब तक के समस्त रिकार्ड की अनदेखी करते हुये रेस्पोंडेंटस व अन्य इनके सहयोगियों से साजिश कर बिना जन सुनवाई किये आदेश जेर बहस देने में भयंकर कानूनी भूल की है जबकि कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि हितबद्ध व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिये किसी भी प्रकार से पारित किया जाने वाला आदेश अवैध होता है जिससे कानून से कोई हितबद्ध व्यक्ति बाध्यकारी नहीं होता । इस प्रकार अदालत मातहत का आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

समस्त राजस्व रिकार्ड से विवादित भूमि खसरा नंबर 161 तादादी 3.24 हैक्टर वाके ग्राम मारिगसर गैर मु0 पहाड़ गोचर भूमि चरागाह है। कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि किसी चरागह भूमि में किसी को भी न तो खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते व न किसी गोचर भूमि का किसी के हक में नियमन किया जना ही कानून से सम्भव है। अदालत मातहत ने कानून की उक्त स्थिति पर बिना गोर किये अपना आलोच्य आदेश अपने लालच व निजी स्वार्थ के वसीभूत होकर अवैध रूप से दिया गया है जो खारिज होने योग्य है। विवादित भूमि के बाबत सम्वत 1999 से लेकर सम्वत 2069 तक का राजस्व अभिलेख मौजूद है। परन्तु अदालत मातहत ने राजस्व अभिलेख पर गोर न कर मात्र पटवारी हल्का, तहसीलदार झुंझुनू की मौके की रिपोर्ट पर विश्वास किया। जबकि उक्त रिपोर्ट की किसी प्रकार से ताईद इस भूमि के किसी राजस्व अभिलेख से नहीं होती। अदालत मातहत ने ग्राम मारिगसर के निवासीगण के हितों के विरूद्ध व न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विरुद्ध आदेश पारित किया है जिसके आधार पर कानून से रेस्पोंडेंटस नंबर 1 लगायत 12 को किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 16:39:04 IST
Reason: SelfAttested

किसी आवंटन या नियमन योग्य भूमि का आवंटन/नियमन किये जाने हेतु एडवाईजरी कमेटी का गठन किया जाता है तथा गठित कमेटी के हर सदस्य की सहमति प्राप्त किये जाने के बाद ही इस प्रकार की भूमि का आवंटन अथवा नियमन किया जाना सम्भव होता है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि के आवंटित अथवा नियमित किये जाने में न तो किसी प्रकार की एडवाईजरी कमेटी का गठन किया जाना व न कमेटी के सदस्यों की सहमति लिया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार अलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2016 विधि व लोकहित के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।

अदालत मातहत द्वारा बिना किसी प्रकार से तथ्यों की विवेचना किये आदेश जेर बहस पारित किया है जो अविवेचना पूर्ण होने से आदेश की श्रेणी में कानून से नहीं आने से खारिज होने योग्य है।

अंत में अपील/प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अदालत मातहत के आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2016 को निरस्त फरमाया जावे व खसरा नंबर 161 तादादी 3.24 हैक्टर वाके ग्राम मारिगसर के राजस्व रिकार्ड के पूर्ववत राजकीय गैर मु0 पहाड़ी चरागाह हेतु दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया गया। तथा अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपील के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा, धारा 5 मियाद अधि0 एवं धारा 96 सीपीसी0 के प्रार्थना पत्र भी पेश किये गये।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील/प्रार्थना पत्र के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई।

अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम, प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थी/अपीलांट द्वारा इन प्रार्थना पत्रों में दर्ज तथ्यों से इन्कार किया गया।

प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम– प्रार्थीगण/अपीलांट मय शपथ पत्र पेश कर कथन किया है कि अदालत मातहत के आदेश दिनांक 13.01.2016 के बाबत अपीलांट/प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 05.11.2020 को जानकारी होने पर नकल आदि प्राप्त की जो दिनांक 6.11.2020 को प्राप्त हुई। अतः अपीलांट की जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी कोनडोन किया जाकर अपील अपीलांट अन्दर अवधि माने जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेंट्स नंबर 1 लगायत 12 की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब मय शपथ–पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों से इन्कार किया तथा निवेदन किया कि आदेश दिनांक 13.01.2016 की पालना में नामांतरकरण दर्ज किये गये, जिसकी जानकारी ग्राम वासीयान को शुरू से है इसके बाद फर्द जमा से नामांतरकरण की जानकारी भी ग्राम वासीयान मारिगसर को शुरू से है। लीज विलेख के आधार पर खनन कार्य किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 13:39:04 IST
Reason: SelfAttested

जिसकी जानकारी भी ग्रामवासियान को शुरू से है। लीज विलेख दिनांक 11.6.2020 से पूर्व आवेदन पर नपति की गयी व सीमाकंन किया गया। तत्पश्चात लीज विलेख दिनांक 11.06.2020 को निष्पादित किया गया, जिसकी जानकारी भी अपीलांटस व ग्राम वासीयान मारीगसर को शुरू से है। ओमपाल पुत्र हरलाल व सुरेशकुमार पुत्र रामेश्वरसिंह ने रेस्पोंडेंट के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू के आदेश दिनांक 13.01.2016 के खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर केम्प झुंझुनू में अपील उनवानी ओमपाल आदि बनाम नरेन्द्र सिंह आदि की व अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधि0 व धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम पेश किया व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प, झुंझुनू ने धारा 96 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधि का निस्तारण किये बिना ही दिनांक 01.7.2020 को एक तरफ अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जिसके खिलाफ नरेन्द्र सिंह ने न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी संख्या 3764/2020 प्रस्तुत की। जिसके निर्णय दिनांक 02.11.2020 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में सिविल रिट याचिका 14776/2020 ओमपाल आदि बनाम नरेन्द्रसिंह आदि की। गलत तथ्य व रिट याचिका में वन भूमि बताकर यथास्थिति का आदेश प्राप्त किया, जो दिनांक 12.01.2021 को विड्रा करने के आधार पर खारिज की गई। गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के लिये पत्रावली संख्या 64/2013 न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनू में पेश की गई जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू की अधिकारिता का मानकर हस्तांतरित की गयी। तहसीलदार झुंझुनू ने दिनांक 30.12.2015 को उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू को नियमन के लिए आवेदन पत्र प्रेषित किया व दर्ज किया कि पहाड़ी पर आवेदकगण के पूर्वजों का गढ बनाया हुआ है जिसमें निवास करते हैं। इस पर सरपंच ग्राम पंचायत व नोटिस बोर्ड ग्राम पंचायत व तहसीलदार आदि को सूचित किया गया व आवंटन कमेटी के निर्णय के अनुसार दिनांक 13.01.2016 को आवंटन आदेश पारित किया गया जिसकी सूचना ग्राम पंचायत, जिला कलक्टर व तहसीलदार झुंझुनू को दी गई। इससे साफ जाहिर है कि आदेश की जानकारी शुरू से ग्रामवासियान को है व प्रभावित न होने से ही उस समय अपील नहीं की गई। यह गलत है कि अपीलांट को जानकारी दिनांक 5.11.2020 को हुई हो। यह दर्ज नहीं किया गया कि जानकारी का स्रोत क्या है। अपील के लिये मियाद आदेश के रोज से 30 दिन ही निर्धारित है। अपील मियाद बाहर है। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम खारिज किया जावे।

अपीलांट्स/प्रार्थीगण ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. का मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया– कि पुराना खसरा नंबर [illegible] तादादी 12 बीघा 16 विश्वा गैर मु0 पहाड़ी जिसके नये खसरा नंबर 161 तादादी 3.24 [illegible] गैर मु0 पहाड़ी वाके ग्राम मारिगसर हमेशा से स्मर्णातीत समय से चरागाह की भूमि रही है जिसे प्रार्थीगण व ग्रामवासियान मारिगसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.12.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

व इनके पूर्वज अपने धनपशु चराने के काम में लगातार लेते आ रहे हैं। उक्त भूमि कभी किसी की खातेदारी व काबिल काश्त नहीं रही। अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेंट्स नंबर 1 लगायत 11 के हक में कानून के विरूद्ध इस भूमि का अदालत मातहत द्वारा आवंटन किया गया है जिससे स्वयं प्रार्थीगण/अपीलांटस व अन्य ग्रामवासियान के सामुहिक हित प्रभावी हुये हैं। अतः अपीलांट्स/प्रार्थीगण को अपीलाधीन आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेट्स ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि सी.पी.सी. की धारा 91 के प्रावधान के अनुसार अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का हक नहीं है, क्योंकि दो या अधिक व्यक्ति न्यायालय की स्वीकृति के बिना अपील प्रस्तुत करने का हक नहीं रखते। विवादित जमीन को अपील में ग्राम की चरागाह बताया गया है व विशेष नुकशान व्यक्तिगत होना नहीं बताया। प्रतिनिधि की हैसियत से अपील करने की विधिवत स्वीकृति नहीं ली। इस कारण अपील व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हक न होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी खारिज होने योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू के आदेश दिनांक 13.01.2016 को आवंटन आदेश बताकर अपील अवैध रूप से धारा 75 राज0 भू0 राजस्व अधि0 1956 के तहत पेश की गई है। उक्त अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील माननीय न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है, इस कारण धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। विवादित जमीन गत खसरा नंबर 82 रकबा 12 बीघा 16 विश्वा हाल खसरा नंबर 3.24 हैक्टर वाके ग्राम मारिगसर गैर मु0 पहाड़ दर्ज थी व राजस्व रिकार्ड में कभी भी यह भूमि चारागाह दर्ज नहीं हुई। राज. भू. राजस्व अधिनियम 1952 के प्रावधान के अनुसार विवादित खसरा नंबर 161 को चरागाह के लिये नियमानुसार नहीं छोड़ा गया। राज. भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधि0 1952 के तहत विवादित गत खसरा नबर 82 के लिये चरागाह होना अंकित नहीं किया गया। विवादित गत खसरा नंबर 82 हाल खसरा नंबर 161 को चारागाह घोषित करने व उसमें पशु चराने का कस्टमरी राईट घोषित करने का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है व इस घोषणा के अभाव में प्रार्थना पत्र धारा 96 सी. पी.सी. व अपील में अस्पष्ट व अपूर्ण तथ्य दर्ज किये है। जमीन गैर मु. पहाड़ है व इस पर पशुओं के चरने के लिसे किसी भी प्रकार कोई चारा या पौधे नहीं हैं, केवल पत्थर है। राज0 सरकार की ओर से खनिज अभियंता झुंझुनू ने दिनांक [illegible]2020 को 50 साल की अवधि के लिये 1.313971 हैक्टर जमीन का सीमांकन रिपोर्ट [illegible] लीज डीड फर्म मैसर्स जय मां जमुवाय माईन्स एण्ड मिनरल्स के हक में निष्पादित कर दिया । इस जमीन के हाल खसरा नंबर 498/161 रकबा 1.3200 हैक्टर गैर मु0 पहाड़ दर्ज है व मौके पर दिनांक 15.05.

Signature Not Verified
Digitally signed by:Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:[illegible]
Reason: SelfAttested

2019 को सीमांकन कर सीमांकन रिपोर्ट तैयार की गयी व निर्धारित बिन्दुओं पर सीमांकन निर्माण करवा दिया गया। जिसकी जानकारी अपीलांटस व ग्राम वासीयान को शुरू से है कुल 3.2400 हैक्टर भूमि में से बाकी जमीन के खसरा नंबर 499/161 रकबा 1.92 हैक्टर वाके ग्राम मारिगसर है व दोनों जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 नामांतरण के आधार पर दर्ज हुई। अब ग्राम के कुछ व्यक्तियों के मन में बदनियती व बेईमानी पैदा हो गयी जिसकी अनुचित पूर्ति के लिये यह गलत आवेदन पत्र पेश किया है।

ओमपाल पुत्र हरलाल व सुरेशकुमार पुत्र रामेश्वरसिंह ने रेस्पोंडेंट के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू के आदेश दिनांक 13.01.2016 के खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर केम्प झुंझुनू में अपील उनवानी ओमपाल आदि बनाम नरेन्द्र सिंह आदि की व अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. व धारा 5 मियाद अधि0 व धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम पेश किया व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प, झुंझुनू ने धारा 96 सी.पी.सी व धारा 5 मियाद अधि का निस्तारण किये बिना ही दिनांक 1.7.2020 को एक तरफ अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया, जिसके खिलाफ नरेन्द्र सिंह ने न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी संख्या 3764/2020 प्रस्तुत की। जिसके निर्णय दिनांक 2.11.2020 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में सिविल रिट याचिका 14776/2020 ओमपाल आदि बनाम नरेन्द्रसिंह आदि की। गलत तथ्य व रिट याचिका में वन भूमि बताकर यथास्थिति का आदेश प्राप्त किया, जो दिनांक 12.01.2021 को विड्रा करने के आधार पर खारिज की गई।

अपील में इस तथ्य को छुपाया गया कि उक्त अधिनियम 1952 के तहत जागीर खालसा होने पर किस जागीरदार को कौनसी व्यक्तिगत सम्पति मिली व किस जमीन का मुआवजा किया। उक्त जसवंतसिंह का लड़का मूलसिंह था व मूलसिंह का लड़का केशरीसिंह था व केशरीसिंह के लड़के उम्मेदसिंह, हनुमानसिंह, मदनसिंह व रेस्पोडेंटस दर्शनसिंह हुये थे। सन 1958 में उक्त मूलसिंह जागीरदार के मआवजे के बाबत डिप्टी कलेक्टर जागीर झुंझुनू ने निर्णय पारित किया। उक्त मूलसिंह ने जमीन खसरा नंबर 81 खसरा नंबर 48, खसरा नपंबर 74, खसरा नंबर 80, खसरा नंबर 73, खसरा नंबर 75 वाके ग्राम मारिगसर को अपनी निजी कृषि भूमि होना खुद काश्त की होना बताकर खसरा नंबर 82 को अपनी निजी सम्पति निवास स्थान होना दर्ज किया है जिसका नक्शा भी पेश किया गया है। जागीरदारान ने आपस में यह कर ठाकुर मूलसिंह को गढ खसरा नंबर 82 दिया। पृथ्वीसिंह व [illegible] सिंह के खिलाफ स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ने दावा कर डिक्री प्राप्त की व [illegible] ने [illegible] में विवादित गढ को को कुर्क कर लिया जिस पर उक्त केशरी सिंह ने इजरा में आदेश 21 नियम 63 सी.पी.सी. के अनुसार दावा इस्तकरारहक न्यायालय मुंसिफ झुंझुनू उनवानी केशरीसिंह बनाम स्टेट बैंक दावा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

49/1975 किया । इस दावे में दिनांक 03.02.1983 को निर्णय व डिक्री पारित की गयी जिसमें केशरी सिंह को मारिगसर की पहाड़ी पर स्थित गढ, मकानात का स्वामी घोषित किया व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की। निर्णय व डिक्री के खिलाफ जिला न्यायाधीश, झुंझुनू में अपील संख्या 5/1983 दिनांक 17.12.1988 को खारिज कर दी। इस प्रकार सक्षम सिंह न्यायालय द्वारा गत खसरा नंबर 82 पहाड़ी केशरी सिंह के स्वामित्व की होना माना व रेस्पोंडेटस में से केशरीसिंह के वारीसान में से है। इस निर्णय व डिक्री के कायम रहते हुये इसके विपरित कोई कथन करने का हक अपीलांटस को नहीं है। उक्त मूलसिंह के देहान्त हो जाने के बाद डिप्टी कलेक्टर जागीर झुंझुनू ने केशरीसिंह को मारिगसर की जागीर का उत्तराधिकारी आदेश दिनांक 14.03.1969 से घोषित किया। यह घोषणा नियमानुसार इस्तहार दैनिक अखबार में प्रकाशित करवाकर व ग्राम मारिगसर में चस्पा करवाकर विधि अनुसार कार्यववाही कर किया गया। गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के लिये पत्रावली संख्या 64/2013 न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनू में पेश की गई जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू की अधिकारिता का मानकर हस्तांतरित की गयी। पत्रावली दिनांक 01.7.2015 को राजस्व लोक अदालत शिविर नयासर में पेश हुई जिसमें राज. भू. राजस्व अधि0 की धारा 136 का प्रकरण न मानकर धारा 136 के तहत कार्यवाही नहीं की गई। इस पर तहसीलदार झुंझुनू ने दिनांक 30.12.2015 को उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू को नियमन के लिए आवेदन पत्र प्रेषित किया व दर्ज किया कि पहाड़ी पर आवेदकगण के पूर्वजों का गढ बनाया हुआ है जिसमें निवास करते हैं। इस पर सरपंच ग्राम पंचायत व नोटिस बोर्ड ग्राम पंचायत व तहसीलदार आदि को सूचित किया गया व आवंटन कमेटी के निर्णय के अनुसार दिनांक 13.01.2016 को आवंटन आदेश पारित किया गया जिसकी सूचना ग्राम पंचायत, जिला कलक्टर व तहसीलदार झुंझुनू को दी गई। इससे साफ जाहिर है कि आदेश की जानकारी शुरू से ग्रामवासियान को है व प्रभावित न होने से ही उस समय अपील नहीं की गई। अपील में राज0 राज्य के खनन विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है । खनन कार्य मशीन आदि में काफी खर्चा हो चुका है। केवल बदनियति से गलत तथ्य दर्ज कर गलत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

दिनांक 15.3.2021 को हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट/प्रार्थी श्री शिवनारायण सिंह ने प्रार्थीगण राकेश कुमार आदि की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त [illegible] प्रकरण कृषि भूमि के प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के तहत किये गये आवंटन के [illegible] किया गया है, लेकिन प्रकरण प्रस्तुत करते समय सहवन से व प्रावधान की भूल से [illegible] राजस्थान भू राजस्व अलोटमेंट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीक्लचर प्रपेजेज नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत नहीं होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

भू राजस्व अधि0 की धारा 75 में प्रस्तुत कर दिया गया, लेकिन अभिवचनों के पढने मात्र से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह प्रकरण भू राजस्व अधि0 की धारा 75 का नहीं होकर नियम 1970 के नियम 14 (4) का है जिसके तहत श्रीमान को ही सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है एवं स्वतः ही प्रसंज्ञान लेने का भी अधिकार प्राप्त है। तथा विधि का यह भी स्पष्ट मान्यता है कि गलत धारा लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता न्यायालय को अभिवचनों का परीक्षण करना है। अभिवचनों से स्पष्ट रूप से नियम 14 (4) का प्रकरण प्रकट होता है। इसलिए प्रकरण को आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) में प्रस्तुत किया जाना पढ़ा जावे । यदि फिर भी किन्ही कारणों से न्यायालय ऐसा करने में असहज महसूस करे तो इस अपील को नियम 1970 के नियम 14 (4) में तब्दील कर सुनवाई की जा सकती है, ऐसा भी विधि की स्पष्ट मान्यता है।

अंत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में अपील के बजाय राजस्थान भू राजस्व अलोटमेंट आफ लैण्ड फोर एग्रीक्लचर प्रपेजेज नियम 1970 के नियम 14 (4) में तब्दील अथवा माना जाकर सुनवाई की जाने की आज्ञा प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया जिसकी प्रति विद्धान अधिवक्ता अप्रार्थी/रेस्पोडेंट को दिलाई गई।

विद्धान अधिवक्ता अप्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों से इन्कार किया तथा निवेदन किया गया कि अपील सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। तथा अंकित किया गया कि धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के जवाब में पूरे तथ्य दर्ज किये गये हैं। अपील में दर्ज तथ्यों के अनुसार अपीलांटस ने विवादित जमीन को चारागाह भूमि व गैर मु0 पहाड़ी की होना अंकित किया है। अपील में कृषि प्रयोजनार्थ होने का तथ्य दर्ज नहीं किया गया, बल्कि गैर मु0 पहाड़ होने का तथ्य दर्ज किया गया। आदेश दिनांक 13.01.2016 में भी जमीन खसरा नंबर 161 रकबा 3.24 हैक्टर की किस्म गैर मु0 पहाड़ रहना व मालिकाना हक दिये जाने का आदेश है। कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने का उल्लेख नहीं है। राज0 भू0 राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 उसी सूरत में लागू होते हैं जब किस्म जमीन कृषि भूमि हो और कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी हो। विवादित जमीन गैर मु0 पहाड़ होना व किस्म गैर मु0 पहाड़ रहना आदेश में दर्ज है। इस कारण उक्त नियम 1970 प्रकरण में लागू नहीं होते, प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध है।

अतिरिक्त उत्तर में कथन किया गया कि आदेश दिनांकम 13.01.2016 के खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनू में अपील उनवानी ओमपाल वगैरह बनाम नरेन्द्र सिंह वगैर अपील संख्या 18/2020 रेस्पोडेंट [illegible]लाफ की गई। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर केम्प, झुंझुनू के दिनांक 25.02.[illegible] को अपील को खारिज कर दिया, इस कारण आदेश दिनांक 13.01.2016 यथावत रहा व [illegible]य दिनांक 25.2.2021 में समायोजित हो गया इस कारण भी प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। तथा कथन किया गया कि ग्राम मारिगसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: Self Attested

के कुछ व्यक्तियों ने नाजायज लाभ प्राप्त करने के लिए रेस्पोंडेंटस के खिलाफ अवैध समूह बना रखा है। राजस्थान सरकार की ओर से खनिज अभियंता झुंझुनू ने दिनांक 11.06.2020 को 50 साल की अवधि के लिए खसरा नंबर 161 में से 1.3139 हैक्टर जमीन लीज विलेख के द्वारा प्रदान की गयी। इस जमीन का लीज विलेख रजिस्टर्ड है व लीज विलेख फर्म मैसर्स जमुवाय माईन्स एण्ड मिनरल्स के हक में जरिये साझेदारान दर्शनसिंह, रमेश सिंह, श्याम सिंह, विजेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, श्रीमती भंवर कंवर संदीपसिंह व श्रीमती अस्मिता के हक में निष्पादित हुआ जिसमें से उक्त रेस्पोडेंटस है। राज0 सरकार द्वारा दिये गये लीज विलेख को माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ग्राम मारिगसर ठिकाने के समय में ग्राम मण्ड्रेला के जागीरदारान के तहत का था व उस समय खसरा नंबर 82 पर रिहायश के लिये गढ का निर्माण करवाया गया था। जागीरदारान ने आपसी सहमति से उक्त रिहायशी गढ स्व0 मूलसिंह तत्कालीन जागीरदार को दे दिया था। इस कारण तत्कालीन जागीरदार ठाकुर मूलसिंह मय परिवार खसरा नंबर 82 में निर्मित गढ में आबाद रहा है। यह उसकी व्यक्तिगत सम्पति रही। ठाकुर मूलसिंह, ठाकुर जसवंत सिंह का लड़का था व मूलसिंह का लड़का केशरी सिंह था। केशरी सिंह के लड़के रेस्पोंडेंट दर्शन सिंह, स्व0 उम्मेद सिंह, स्व0 हनुमानसिंह व स्व0 मदनसिंह हुये थे। तत्कालीन जागरीदार मूलसिंह ने अपनी जागीर की आय की सूची व व्यक्तिगत आय की सूची पेश की जिसका निर्णय डिप्टी कलेक्टर जागीर, झुंझुनू ने किया। इस निजी सम्पति की सूची में अन्य सम्पति के साथ खसरा नंबर 82 निजी सम्पति होना दर्ज किया व उसका नक्शा पेश किया। पहले के राजस्व रिकार्ड में यह तत्कालीन ठिकाने की सम्पति दर्ज है। बाद में गलती से राजकीय दर्ज हो जाने से इसको दुरूस्त करने के लिये आवेदन पत्र दिया गया था। जिसमें आदेश पारित हुआ व उस आदेश की पालना में कमेटी के गठन पर दिनांक 13.01.2016 को आदेश पारित किया गया।

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट की ओर से आगे कथन किया गया है कि न्यायालय मुसिफ, झुंझुनू ने दावा संख्या 49/1975 निर्णय व डिक्री दिनांक 3.02.1983 व न्यायालय जिलाधीश झुंझुनू ने अपील संख्या 5/1983 निर्णय दिनांक 17.12.1988 में गत खसरा नंबर 82 को तत्कालीन जागीरदार मूलसिंह के लड़के केशरी सिंह की होना माना। इस प्रकार सिविल न्यायालय के अनुसार भी गत खसरा नंबर 82 हाल खसरा नंबर 161 हाल खसरा नंबर 498/161, 499/161 वाके ग्राम मारिगसर केशरी सिंह के स्वामित्व कब्जे की है। व केशरी सिंह के देहान्त हो जाने के बाद उसके वारीसान की है। तथ्यों को छुपाकर गलत [illegible] किया गया है। अपील व उक्त नियम 1970 के नियम 14 (4) के प्रावधान की प्रक्रिया व [illegible] भी अलग अलग हैं व दोनों का सारभूत तत्व भी अलग है तथा सुनवाई की प्रक्रिया भी अलग है। किसी भी कानून से अपील को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 16:39:04 IST
Reason: SelfAttested

उक्त नियम 14 (4) के तहत परिवर्तित करने का प्रावधान नहीं है। प्रार्थना पत्र सरहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की सम्पूर्ण बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्राथी/अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि – रेस्पोंडेंट/अप्रार्थीगण हनुमान सिंह आदि ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू के समक्ष एक प्रार्थना पत्र संख्या 36/2013 उनवानी हनुमान सिंह आदि बनाम राज्य सरकार अन्तर्गत धारा 136 भू0 रा0 अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मारीगसर तहसील झुंझुनू की भूमि गत खसरा नंबर 82 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा किश्म गैर मु. पहाड़ी मकबुजा ठीकाना की रही है जिसके नये खसरा नंबर 161 रकबा 3.24 हैक्टर है। उक्त भूमि की खातेदारी राजकीय भूमि के रूप में गलत रूप से दर्ज है, इसलिए भूमि का खाता आवेदकगण के नाम से किये जाने का आदेश प्रदान करें। उक्त आवेदकगण की सहमति से यह निर्णय पारित किया कि मामला नियमन का प्रतीत होता है, इसलिए यह निर्णय किया जाता है कि जब भी नियमन कमेटी की मिटिंग आहुत हो तो प्रथम प्राथमिकता से तहसीलदार प्रकरण को नियमन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें। तत्पश्चात तहसीलदार झुंझुनू के समक्ष इन्हीं आवेदकगण ने नियमन कमेटी की मिटिंग आहुत करने का आवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया जिस पर उक्त उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू ने आवंटन सलाहकार समिति की दिनांक 12.01.2016 को इनके पक्ष में आवंटन की कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने हेतु मिटिंग बुलवायी, जिसमें केवल मात्र तहसीलदार, झुंझुनू व सरपंच ग्राम पंचायत नयासर तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति को मिटिंग मेंआने का नोटिस जारी किया। सलाहकार समिति के शेष 4 सदस्यों को नोटिस ही जारी नहीं किया। उक्त नोटिस भी दिनांक 8.1.2016 को जारी किया एवं 4 दिन बाद ही दिनांक 12.01.2016 को मिटिंग आहुत की गई। सलाहकार समिति की मिटिंग में 2 ही सदस्य उपस्थित आये व सलाहकार समिति की मिटिंग में उपरोक्त भूमि के बारे में यह निर्णय हुआ कि उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम के तहत आवंटित की जाती है और निर्णय किया कि हनुमानसिंह पुत्र केशरी सिंह, 2. मृतक मदन सिंह के विधिक वारिस श्रीमती भंवर कंवर पत्नी विजेन्द्र पुत्र, सुमन कंवर पुत्री रेणू कंवर पुत्री, 3. दर्शन सिंह पुत्र केशरी सिंह, 4. रमेश सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, 5. महेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, 6 श्याम सिंह पुत्र उम्मेद सिंह को बहिस्सा बराबर –बराबर भूमि आवंटन की जाती है। भूमि की किश्म गैर.मु. पहाड़ दर्ज रहेगी। उक्त आवेदकों के अलावा अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।इसलिए बैठक स[illegible] गई। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू ने दिनांक 13.01.2016 को [illegible] 4–1, (2)/ राजस्व / भूआं /2012–13/02/04 दिनांक 13.01.2016 का आदेश [illegible] किया कि राजस्व विभाग के निर्देशों एवं राजस्थान भू राजस्व नियम 1963 के अनुशरण में ग्राम मारिगसर में स्थित भूमि खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

161 रकबा 3.24 हैक्टर किश्म गै.मु. पहाड़ दर्ज होकर मालिकाना हक का निम्नांनुसार रहेगा । हनुमानसिंह पुत्र केशरी सिंह, 2. मृतक मदन सिंह के विधिक वारिस श्रीमती भंवर कंवर पत्नी विजेन्द्र पुत्र, सुमन कंवर पुत्री रेणू कंवर पुत्री, 3. दर्शन सिंह पुत्र केशरी सिंह, 4. रमेश सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, 5. महेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, 6 श्याम सिंह पुत्र उम्मेद सिंह उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय नहीं करेंगे। उक्तानुसार तहसीलदार झुंझुनू राजस्व रिकार्ड में अमल करें। उक्त आवंटन आदेश की पालना में तहसीलदार ने हल्का पटवारी को आदेशित किया। हल्का पटवारी ने उक्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 230 भरकर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने दिनांक 26.02.2016 के आदेशानुसार नामांतरकरण स्वीकृत कर दिया। उसके पश्चात उपरोक्त समस्त आवंटियों ने उक्त भूमि में से 1.32 हैक्टर भूमि दिनांक 18.01.2019 को उक्त भूमि मै0 जय मॉ जमुवाय, माइन्स एण्ड मिनरल्स जरिये पार्टनर दर्शन के नाम की फर्म को 4 लाख रूप्ये में जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र विक्रय कर दी। उपरोक्त विक्रय पत्र दिनांक 18.01.2019 को उपपंजीयक झुंझुनू के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 582 में पृष्ठ संख्या 139 पर पंजीबद्ध किया गया व तत्पश्चात उक्त फर्म ने अपने नाम नामांतरकरण भरवाकर खनन विभाग से खनन पट्टा जारी करवा लिया और फिर खनन कार्य चालू कर दिया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलांट ने लिखित बहस में आगे कथन किया है कि जमाबंदी के कॉलम नंबर 4 में काश्तकार के नाम के नीचे पहाड़ी तथा पर्वत चारागाह हेतु दर्ज है तथा भूमि के वर्गीकरण में गै.मु. पहाड़ दर्ज है तथा उक्त भूमि प्रथम जमाबंदी सम्वत 2012 में राजकीय भूमि दर्ज है तथा कॉलम नंबर 4 में राजकीय भूमि का खाता नाम से दर्ज है जिसमें (क) कृषि योग्य भूमि नहीं है तथा भूमि चराई योग्य दर्ज है। इससे यह स्पष्ट परीलक्षित होता है कि भूमि गै. मु. पहाड़ है व चारागाह के रूप में प्रयुक्त हो रही है एवं राजकीय भूमि है। उक्त भूमि पर इस प्रकरण के आपतिकर्ता तथा ग्रामवासियों के पशु चरते थे, जब उनको पता चला तो उन्होंने श्रीमान के न्यायालय में चाराजोही की है।

आपत्तीकर्ता ने अपनी आपत्ती भूलवश धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत अपील के रूप में दर्ज कर दी। जबकि उन्हें अपनी आपत्ति राजस्थान भू राजस्व अलाटमेनट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीक्लचर प्रपजेज रूल्स 1970 के नियम 14 (4) के तहत करनी चाहिए थी। यह बात ध्यान में आने पर आपत्तिकर्ता ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपील को आवेदन के रूप में ट्रीट करने का निवेदन किया जिसके बारे में कानूनी स्थिति स्पष्ट है। प्रथम तो गलत धारा लिख देने से को[illegible] में आवेदन में वर्णित तथ्यों को पढ़ना चाहिए और किस वास्ते आ[illegible] आवश्यक है, इसके लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का [illegible] 2004 (3) राजस्थान पेज 2007, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.05.1968 गोरधन दास बनाम सीता बाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। इसके साथ ही ए.आई.आर. 2005 मध्यप्रदेश पेज नंबर 40 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है. कि अपील को आवेदन में तथा आवेदन को अपील के रूप में ट्रीट किया जा सकता है । यहां देखना यह है कि आपतिकर्ता गण ने यह ही आपति की है कि यह भूमि न तो आवंटन योग्य थी न आवंटी आवंटन के अधिकारी थे न आवंटन की प्रक्रिया का पालन किया गया और नहीं भूमि आवंटन योग्य थी । इस तरह की आपत्ति आपत्तिकर्ता किस प्रावधान में कर सकते हैं । यदि श्रीमान को सुनवाई का अधिकार है तो जिस धारा अथवा नियम में श्रीमान सुन सकते हैं उसी संदर्भ में व उसी प्रावधान में यह आपत्ति मानी जानी चाहिए। आवंटन आदेश को पढ़ने से यह प्रलिक्षित होता है कि उन्होंने भू राजस्व अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड एग्रीक्लचर प्रपेजेज रूल्स 1970 के तहत की है। यदि ऐसा किया है तो इसकी आपत्ति उपरोक्त नियमों के नियम 14 (4) के तहत श्रीमान को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसलिए यदि इस आपत्ति को धारा 75 भू राजस्व अधिनियम में प्रस्तुत कर दी गई है तो इसे नियम 14 (4) के तहत आवेदन के रूप में मान लिया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। हालांकि आवंटन अधिकारी ने भू राजस्व नियम 1963 के तहत आवंटन किया जाना उल्लेखित किया है, लेकिन ऐसे नियम राजस्थान सरकार ने नहीं बना रखे हैं, उनके व्यक्तिगत नियम हो तो उनका विधि में कोई महत्व नहीं है। इसलिए जब 1963 के नियम नहीं होते हुये भी सक्षम अधिकारी ने अपने पदीय कर्तव्य के निरर्वहन में नियमों का गलत उल्लेख किया है तो आपत्तिकर्ता द्वारा गलत धारा लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए । साथ में यहां यह भी अति महत्वपूर्ण है कि धारा 136 के आवेदन को उसी आवंटन अधिकारी ने मामला धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का नहीं मानकर नियमन का मानकर उस रूप में उसे ट्रीट कर निर्णय पारित किया है। इसलिए उपरोक्त संदर्भ में हमारे द्वारा जो आपत्ति अपील के रूप में प्रस्तुत कर दी, उसे नियम 14 (4) के तहतत आवेदन मानकर निर्णय पारित करना न्यायोचित होगा।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने गुणावगुण पर लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि – प्रथम तो आवंटन आदेश को पढ़ने मात्र से यह पता ही नहीं चलता है कि आवंटियों को यह भूमि क्यों तो आवंटित कर दी और किन नियमकों के तहत उक्त भूमि आवंटित की है। मामला नियमन का माना जा रहा था। आवंटियों ने आवंटन के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया। भूमि गैर मु0 पहाड़ी चारागाह हेतु उपलब्ध बतायी है जो भूमि कृषि योग्य नहीं है और आवंटन अधिकारी को आवंटन का अधिकार नहीं है। आवंटन भू राजस्व नियम 1963 के तहत करना बताया है ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी सूरत में आवंटन पूर्णतया विधि विरूद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 13:39:04 IST
Reason: SelfAttested

आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रकरण में जिस रूप में आवंटन अधिकारी ने प्रस्तुत किया है उससे यह स्पष्ट प्रलिक्षित होता है कि आवंटन कृषि भूमि प्रयोजनार्थ किया गया है और यदि कृषि प्रयोजनार्थ किया गया है तो इसकी आपत्ति उक्त नियमों के नियम 14 (4)

के तहत मानी जायेगी। भूमि की किस्म गैर मु0 पहाड़ चारागाह प्रयोजनार्थ दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधि0 की धारा 5 (24) में जो कृषि भूमि की परिभाषा दी है उसमें गैर मु0 अर्थात चारागाह प्रयोजनार्थ भूमि को सम्मिलित नहीं किया गया है। आवंटन शुदा भूमि में निश्चित अवधि के बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। चारागाह प्रयोजनार्थ भूमि गांव के पशुओं के लिये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आती है। राजस्थान काश्तकारी अधि0 की धारा 16 (4) में चारागाह भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) में यह स्पष्ट प्रावधान किया कि धारा 16 राज0 काश्तकारी अधि0 के अधीन आने वाली भूमि आवंटन योग्य नहीं होगी तथा विभिन्न निर्णयों में माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऐसा ही मत व्यक्त किया है। न्यायिक निर्णय 1. आर.आर.डी. 1998 राजस्व मण्डल पेज नं0 334, 2. आर.आर.डी 1988 पेज नंबर 664, 3 आर.आर.डी 2010 डी.बी. पेज 250 सादर प्रस्तुत हैं। उपरोक्त तीनों निर्णया में स्पष्ट रूप से सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि गैर मु0 पहाड़ की भूमि आवंटन योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी अधीनस्थ आवंटन अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपने चहेते व्यक्ति को फायदा पंहुचाने एवं सरकारी सम्पति को लूटाने का प्रयास किया है, इसलिए सेसा आदेश पद के दुरूपयोग से अधिक कुछ नहीं है। इसलिए आवंटन आदेश अवैध खारिज होने योग्य है।

आवंटन के संबंध में भू राजस्व (ऑलाटमेन्ट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीक्लचर प्रपेजेज) नियम 1970 में आवंटन की प्रक्रिया बतायी गई है जिसमें सबसे पहले नियम 2 तृतीय बी के अन्दर भूमिहीन कृषक को परिभाषित किया है और भूमिहीन कृषक ही आवंटन का अधिकारी बताया हे। इस नियम तृतीय बी की उपधारा (ए) में यह स्पष्ट प्रावधन दिया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या उस पर आश्रित व्यक्ति भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी महेन्द्र पुत्र उम्मेद सिंह और दर्श सिंह के दो पुत्र गोविन्द सिंह एवं भरत सिंह सरकारी सेवामें हैं, इसलिए वे आवंटन के अधिकारी नहीं है। फिर भी सरकारी सम्पति को सरकारी कर्मचारियों को लूटाकर आवंटन अधिकारी ने अवैध कृत्य किया है। इसलिए भी आवंटन निरस्त होने योग्य है। इसके लिए विभिन्न न्यायालयों में निर्णय पारित किये गये हैं जो 1 – आर. आर.डी. 2009 राजस्थान उच्च न्यायालय पेज नंबर 60 एवं 2–आर.आर.डी. 2010 पेज नंबर 250 हैं।

प्रार्थी ने आगे कथन किया है कि– नियम 1970 में जो आवंटन की प्रक्रिया बताई है उसके नियम 5 में यह बताया है कि 30 सितम्बर तक तहसीलदार आवंटन योग्य भूमियों की प्रत्येक गांव की सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति संबंधित उपखण्ड अधिकारी व क्षेत्रीय वन अधिकारी को प्रेषित करेगा व नियम 7 में यह उल्लेख किया है कि उपखण्ड अधिकारी फार्म द्वितीय में भूमिहीन कृषकों से आवेदनर पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

आमंत्रित करेगा जिसका समय 15 दिन होगा, तत्पश्चात् आवेदक जो भूमिहीन कृषक है जो फार्म तृतीय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगें व उक्त फार्म सी.पी.सी. के प्रावधानों की तरह प्रमाणित होगा। समस्त आवेदनों की नियम 10 में तहसीलदार से योग्य होने की जांच करवायेगा तथा नियम 13 में यह उल्लेखित है कि आवंटन सलाकार समिति में जो 7 सदस्य हैं, उन सातों को एक सप्ताह पूर्व का नोटिस देकर उनकी सभा आहुत करेगा और वह सभा जिस गांव में भूमि आवंटन योग्य है, उस गांव में जाकर सभा करेंगे, लेकिन इस प्रकरण में नियम 5, 7, 8, 9, 10, व 13 की कोई पालना नहीं की गई है। न तो नियमानुसार किसी का अवेदन है, न भूमि की सूची बनाई गई है, न सलाहकार समिति के सदस्यों को विधिक नोटिस दिया गया है। ना ही आवंटन के लिए आवेदन पत्र मांगे गये। नियमों में यह भी प्रावधान है कि आवंटी के पक्ष में फार्म 5 में अलॉटमेटन आदेश जारी होगा, फार्म नंबर 6 में सन जारी होगी और आवंटन आदेश एवं सनद फार्म 5 व 6 में होगें एवं उसी आधार पर नामांतरकरण भरा जावेगा एवं नियम 15 3 में दिया गया है कि पटवारी मौके पर जाकर कब्जा सम्भलायेगा । इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ का न्यायिक निर्णय आर.आर.डी. 2010 पेज नं0 250 उल्लेखनीय है। उक्त प्रकरण में सारी की सारी कार्यवाही अनाधिकृत रुप से बाला–बाला की गई है जिससे स्पष्ट प्रलिक्षित होता है कि आवंटन अधिकारी ने अपने पद का दुरूपयोग कर सरकारी सम्पति को लूटाया है। आवंटन नियम 1970 के नियम 14 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि आवंटन अधिकारी उसका लगान तय करेगा और आवंटी उक्त जमीन को नियमित रूप से काश्त क रेगा 3 वर्ष तक वह गैर खातेदार रहेगा, शर्तों की पालना करने पर 3 वर्ष बाद हल्का पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट आने पर उसे खातेदार घोषित किया जा सकेगा। शर्तों के उल्लंघन होने पर उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में न तो लगान तय किया गया। खसरा गिरदावरी के मुताबिक उन्होंने काश्त नहीं की, क्योंकि भूमि काश्त के योग्य थी ही नहीं, उसे तो सीधे ही खातेदार घोषित नहीं कर स्वामी ही घोषित कर दिया। जिसका किसी भी अधिकारी को अधिकार प्राप्त नहीं है। धारा 101 भू राजस्व अधि0 की उपधारा 2 में आवंटित भूमि का लगान तय करना बाध्यकारी है व शर्तों की पालना करना आवश्यक बताया है। इस संबंध में 1. आर. आर. डी. 2013 पेज 2012 न्यायिक निर्णय अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटन अधिकारी ने अपने पद का दुरूपयोग कर सरकारी सम्पति को लूटाया है जो पद के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है।

नियम 1970 के नियम 20 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि आवंटी के पास आवंटित भूमि का पूर्व में उसे प्राप्त खातेदारी की भूमि का कुल योग 4 हैक्टर से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि सभी आवंटियों के पास आवंटन से पूर्व ही 4 हैक्टर से अधिक भूमि थी, इसलिए वह आवंटन के अधिकारी ही नहीं थे। यदि आवंटन अधिकारी एवं तहसीलदार नियम 10 के तहत इस तथ्य की जांच करते तो यह स्थिति स्पष्ट होती, लेकिन इन दोनों ने आवंटियों से साज कर रखी थी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

इसलिए पद का दुरूप्योग कर सम्पूर्ण आवंटन नियमों की अवहेलना कर राजा महाराजाओं की तरह सम्पति को अपनी समझ कर लूटाया है। जबकि उक्त सम्पति राजकीय सम्पति थी, इसलिए भी उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1982 पेज 520 प्रस्तुत है।

मदन सिंह के वारिसान आवेदक संख्या 8, 9, 10 व 11 को भूमि आवंटित की गई है। उन्होंने कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। मदन सिंह की मृत्यु दिनांक 22.11.2014 को ही हो गई थी। यदि कोई प्रकरण लम्बित था तो उनके वारिसान को समय पर रिकार्ड पर लिया जाना चाहिए था जो नहीं लिया गया। इसलिए यदि मदन सिंह का किसी प्रकार का आवेदन भी लम्बित हो तो वह भी अबैट हो चुका था। मृत व्यक्ति के वारिसान के पक्ष में अबैटमेंट निरस्त किये बिना उनके वारिसान को रिकार्ड पार लिये बिना उनके पक्ष में किया गया आवंटन स्वतः ही अवैध है।

उक्त भूमि दिनांक 13.01.2016 को आवंटित की है जो धोखे से अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से की है जिसको चुनौती देने की कोई मियाद नहीं है, लेकिन फिर भी यदि मियाद मानी भी जाये तो अवैध आवंटन के लिये राजस्व मण्डल ने ऐसे आवंटन की कोई मियाद नहीं मान है, इसके लिए माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक निर्णय आरआरडी पेज 2009 पेज नंबर 629 प्रस्तुत है।

आवंटन आदेश के अंदर यह शर्त थी कि भूमि का बेचान नहीं करेगा, लेकिन आवंटन के 3 वर्ष बाद ही उक्त भूमि में से 1.32 हैक्टर भूमि विक्रय कर दी है जो आवंटन की शर्त का स्पष्ट उल्लंघन है। आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ किया गया था, लेकिंन अप्रार्थीगण ने भूमि विक्रय कर दी तथा क्रेता ने खनन विभाग से पट्टा प्राप्त कर खनन कार्य चालू कर दिया जिससे आवंटन की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। इसलिये भी आवंटन निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का यह भी निवेदन है कि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) में श्रीमान को ध्यान में यह आ जाये कि आवंटन धोखे से व अनाधिकृत रूप से नियम विरूद्ध किया गया है तो श्रीमान को स्वतः ही प्रसंज्ञान लेकर कार्यवाही को रद्द करने की कार्यवाही करनी चाहिए, उसमें धारा व फोरम औपचारिकताऐं महत्वहीन हैं । हमने श्री मान के समक्ष सारे तथ्य प्रस्तुत कर दिये हैं और यह साबित कर दिया है कि निर्योग्य व्यक्तियों को आवंटन के लिये अयोग्य भूमि को नियमों की अवहेलना कर असक्षम अधिकारी ने अनाधिकृत रूप से पद का दुरूपयोग कर सरकारी सम्पति को लुटवाया है जिसके विरूद्ध [illegible] किया जाना आवश्यक तो है ही इसके साथ साथ राजकीय भूमि को पद [illegible] अधिकारी के विरूद्ध भी राज्य सरकार को लिखा जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट्स द्वारा प्रार्थी/अपीलांट्स की लिखत बहस का जवाब लिखित में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि—अपीलांट का दृष्टांत 2009 आरआरडी पेज 629 प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होता। राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 प्रकरण में लागू नहीं होते हैं । प्रकरण में राज0 काश्तकारी अधि0 की धारा 16 का उल्लेख किया गया है। विवादित जमीन ठिकाने के समय से ही पहाड़ दर्ज थी और बाद में भी पहाड़ दर्ज रही। ठिकाना खालसा होने के बाद राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार चारागाह के लिए पृथक नहीं की गयी। इस कारण विवादित गैर मु0 पहाड़ ग्राम पंचायत को न तो गठन होने पर सम्भलाया गया और नहीं कभी निहित किया गया। नियम 1970 के नियम 8 के तहत रेस्पोंडेंटस ने कोई आवेदन नहीं किया व उक्त नियम 1970 के तहत इस बात कोई उदघोषणा जारी नहीं की । इस कारण प्रकर में नियम 14 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, इसके अलावा रेस्पोडेंटस ने कोई भी तथ्य नहीं छुपाया । नियम 15 के अनुसार आदेश पारित नहीं किया गया । इससे साफ जाहिर है कि प्रकरण में उक्तनियम 1970 लागू नहीं होते है, इस कारण भी अपील को प्रार्थना पत्र में परिवर्तित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। विवादित भूमि ग्रामवासियान की सार्वजनिक नहीं रही। गत खसरा नरंबर 82 हाल खसरा नंबर 161 वाके ग्राम मारीगसर के बाबत सिविल न्यायालय से स्वामित्व व आधिपत्य का होना माना गया है जिसके लिए भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये है। जागीर खालसा होने पर व्यक्तिगत सूची व आय की सूची पेश की गई जिसमें निजी सम्पति होने का अंकन नक्शे सहित किया गया व डिप्टी कलक्टर जागीर झुंझुनू ने निर्णय पारित कर उक्त को स्वीकार करते हुये मुआवजा का भुगतान करने का निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनग्रहण अधि0 1952 के प्रावधान के अनुसार विवादित गत खसरा नंबर 82 स्वामित्व की रही है जिस पर गढ बने हुये हैं व विद्युत कनेक्शन है। राजस्थान सरकारी ओर से खसरा नंबर 161 के भाग को खनन कार्य के लिए लीज विलेख द्वारा दिया जा चुका व जिसके अनुसार निर्धारित राशि राजस्थान सरकार में जमा हो रही है। इन सभी तथ्यों का उल्लेख पूर्व में दिये गये जवाब में किया गया है। 2020 (3) डी.एन.जे. एस.सी. 993 पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि प्रभावित पक्षकार को ही चुनौती देने का हक होता है। अपीलाट्ट प्रभावित पक्षकर नहीं हैं। आदेश दिनांक 13.01.2016 में कृषि परियोजनार्थ आवंटित की जाना दर्ज नहीं है बल्कि स्वामित्व मालिक होने का तथ्य दर्ज है। अपील व प्रार्थना पत्र मनमाने तौर पर पेश किये गये जो खारिज होने योग्य हैं। माननीय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनू में अन्य को प्रभावित पक्षकार न मानकर अपील खारिज की व आदेश दिनांक [illegible] उसमें समायोजित हो चुका है। माननीय राज0 उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में प्रकरण विचाराधीन है। जिसमें राजस्थान सरकार व जिला कलक्टर झुंझुनू भी पक्षकार है। इस कारण माननीय राज0 उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

रीट याचिका में बतौर पक्षकार होने के बावजूद कोई आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः लिखित बहस को जवाब पेश कर निवेदन है कि अपील व प्रार्थना पत्र अपीलांटस खारिज किया जावे।

रेस्पोंडेंट नंबर 13 की ओर से दौराने बहस राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा उक्त आवंटन आदेश दिनांक 13.01.2021 विधिक प्रावधनों के बाहर जाकर किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। भू राजस्व (अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड एग्रीक्लचर प्रपेजेज) रूल्स 1970 के नियम 14 (4) में आवेदन होता है तो उसकी कोई मियाद नहीं है। अतः आवंटन आदेश दिनांक 13.01.2021 विधिक प्रावधनों के बाहर होने से निरस्त किया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। चूंकि इस प्रकारण में सबसे पहले प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. का निर्णय किया जाना उचित समझता हूँ जिसके द्वारा हस्तगत प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार हाजा न्यायालय को प्राप्त है अथवा नहीं इस बिन्दु को तय किया जाना है उसके उपरांत अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र भी निर्णित किये जाने है।

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र धारा –151 सिविल प्रकिया संहिता न्यायालय का क्षेत्राधिकार का बिन्दु–</u>

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि – रेस्पोंडेंट / अप्रार्थीगण हनुमान सिंह आदि ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू के समक्ष एक प्रार्थना पत्र संख्या 36/2013 उनवानी हनुमान सिंह आदि बनाम राज्य सरकार अन्तर्गत धारा 136 भू० रा० अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मारीगसर तहसील झुंझुनू की भूमि गत खसरा नंबर 82 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा किश्म गैर मु. पहाड़ी मकबुजा ठीकाना की रही है जिसके नये खसरा नंबर 161 रकबा 3.24 हैक्टर है। उक्त भूमि की खातेदारी राजकीय भूमि के रूप में गलत रूप से दर्ज है, इसलिए भूमि का खाता आवेदकगण के नाम से किये जाने का आदेश प्रदान करें। उक्त आवेदकगण की सहमति से यह निर्णय पारित किया कि मामला नियमन का प्रतीत होता है, इसलिए यह निर्णय किया जाता है कि जब भी नियमन कमेटी की मिटिंग आहुत हो तो प्रथम प्राथमिकता से तहसीलदार प्रकरण को नियमन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें। तत्पश्चात तहसीलदार झुंझुनू के समक्ष इन्हीं आवेदकगण ने नियमन कमेटी की मिटिंग आहुत करने का आवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया जिस पर उक्त उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू ने आवंटन सलाहकार समिति की दिनांक 12.01.2016 को इनके पक्ष में आवंटन की कार्यवाही किये जाने हेतु मिटिंग बुलवायी, जिसमें केवल मात्र तहसीलदार, झुंझुनू [illegible] तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति को मिटिंग में आने का नोटिस जारी किया। सलाहकार समिति के शेष 4 सदस्यों को नोटिस ही जारी नहीं किया। उक्त नोटिस भी दिनांक 8.1.2016 को जारी किया एवं 4 दिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

बाद ही दिनांक 12.01.2016 को मिटिंग आहुत की गई। सलाहकार समिति की मिटिंग में 2 ही सदस्य उपस्थित आये व सलाहकार समिति की मिटिंग में उपरोक्त भूमि के बारे में यह निर्णय हुआ कि उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम के तहत आवंटित की जाती है और निर्णय किया कि हनुमानसिंह पुत्र केशरी सिंह, 2. मृतक मदन सिंह के विधिक वारिस श्रीमती भंवर कंवर पत्नी विजेन्द्र पुत्र, सुमन कंवर पुत्री रेणू कंवर पुत्री, 3. दर्शन सिंह पुत्र केशरी सिंह, 4. रमेश सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, 5. महेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, 6 श्याम सिंह पुत्र उम्मेद सिंह को बहिस्सा बराबर –बराबर भूमि आवंटन की जाती है। भूमि की किश्म गैर.मु. पहाड़ दर्ज रहेगी। उक्त आवेदकों के अलावा अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू ने दिनांक 13.01.2016 को आवंटन आदेश कमांक 4–1, (2)/ राजस्व / भूआं / 2012–13 /02/04 दिनांक 13.01.2016 को आदेश जारी किया कि राजस्व विभाग के निर्देशों एवं राजस्थान भू राजस्व नियम 1963 के अनुशरण में ग्राम मारिगसर में स्थित भूमि खसरा नंबर 161 रकबा 3.24 हैक्टर किश्म गै.मु. पहाड़ दर्ज होकर मालिकाना हक का निम्नांनुसार रहेगा । हनुमानसिंह पुत्र केशरी सिंह, 2. मृतक मदन सिंह के विधिक वारिस श्रीमती भंवर कंवर पत्नी विजेन्द्र पुत्र, सुमन कंवर पुत्री रेणू कंवर पुत्री, 3. दर्शन सिंह पुत्र केशरी सिंह, 4. रमेश सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, 5. महेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, 6 श्याम सिंह पुत्र उम्मेद सिंह उक्त भूमि को किसी अन्य को विकय नहीं करेंगे। उक्तानुसार तहसीलदार झुंझुनू राजस्व रिकार्ड में अमल करें। उक्त आवंटन आदेश की पालना में तहसीलदार ने हल्का पटवारी को आदेशित किया। हल्का पटवारी ने उक्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 230 भरकर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने दिनांक 26.02.2016 के आदेशानुसार नामांतरकरण स्वीकृत कर दिया। उसके पश्चात उपरोक्त समस्त आवंटियों ने उक्त भूमि में से 1. 32 हैक्टर भूमि दिनांक 18.01.2019 को उक्त भूमि मै0 जय मॉ जमुवाय, माइन्स एण्ड मिनरल्स जरिये पार्टनर दर्शन के नाम की फर्म को 4 लाख रूप्ये में जरिये पंजीबद्ध विकय पत्र विकय कर दी। उपरोक्त विकय पत्र दिनांक 18.01.2019 को उपपंजीयक झुंझुनू के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 582 में पृष्ठ संख्या 139 पर पंजीबद्ध किया गया व तत्पश्चात उक्त फर्म ने अपने नाम नामांतरकरण भरवाकर खनन विभाग से खनन पट्टा जारी करवा लिया और फिर खनन कार्य चालू कर दिया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलांट ने लिखित बहस में आगे कथन किया है कि जमाबंदी के कॉलम नंबर 4 में काश्तका[illegible] तथा पर्वत चारागाह हेतु दर्ज है तथा भूमि के वर्गीकरण में गै.मु. पहाड़ दर्ज है तथा [illegible] प्रथम जमाबंदी सम्वत 2012 में राजकीय भूमि दर्ज है तथा कॉलम नंबर 4 में राजकीय भूमि का खाता नाम से दर्ज है जिसमें (क) कृषि योग्य भूमि नहीं है तथा भूमि चराई योग्य दर्ज है। इससे यह स्पष्ट परीलक्षित होता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 13:39:04 IST
Reason: SelfAttested

कि भूमि गै.मु. पहाड़ है व चारागाह के रूप में प्रयुक्त हो रही है एवं राजकीय भूमि है। उक्त भूमि पर इस प्रकरण के आपतिकर्ता तथा ग्रामवासियों के पशु चरते थे, जब उनको पता चला तो उन्होंने श्रीमान के न्यायालय में चाराजोही की है। आपत्तीकर्ता ने अपनी आपत्ती भूलवश धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत अपील के रूप में दर्ज कर दी। जबकि उन्हें अपनी आपत्ति राजस्थान भू राजस्व अलाटमेनट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीक्लचर प्रपजेज रूल्स 1970 के नियम 14 (4) के तहत करनी चाहिए थी। यह बात ध्यान में आने पर आपत्तिकर्ता ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपील को आवेदन के रूप में ट्रीट करने का निवेदन किया जिसके बारे में कानूनी स्थिति स्पष्ट है। प्रथम तो गलत धारा लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मामले में आवेदन में वर्णित तथ्यों को पढ़ना चाहिए और किस वास्ते आवेदन किया गया है यह देखना आवश्यक है, इसके लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक निर्णय आर.एल.डब्ल्यू. 2004 (3) राजस्थान पेज 2007, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.05.1968 गोरधन दास बनाम सीता बाई अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। इसके साथ ही ए.आई.आर. 2005 मध्यप्रदेश पेज नंबर 40 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अपील को आवेदन में तथा आवेदन को अपील के रूप में ट्रीट किया जा सकता है । यहां देखना यह है कि आपतिकर्ता गण ने यह ही आपति की है कि यह भूमि न तो आवंटन योग्य थी न आवंटी आवंटन के अधिकारी थे न आवंटन की प्रकिया का पालन किया गया और नहीं भूमि आवंटन योग्य थी । इस तरह की आपत्ति आपत्तिकर्ता किस प्रावधान में कर सकते हैं । यदि न्यायालय श्रीमान को सुनवाई का अधिकार है तो जिस धारा अथवा नियम में श्रीमान सुन सकते हैं उसी संदर्भ में व उसी प्रावधान में यह आपत्ति मानी जानी चाहिए। आवंटन आदेश को पढ़ने से यह प्रलिक्षित होता है कि उन्होंने भू राजस्व अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड एग्रीक्लचर प्रपेजेज रूल्स 1970 के तहत की है। यदि ऐसा किया है तो इसकी आपत्ति उपरोक्त नियमों के नियम 14 (4) के तहत श्रीमान को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसलिए यदि इस आपत्ति को धारा 75 भू राजस्व अधिनियम में प्रस्तुत कर दी गई है तो इसे नियम 14 (4) के तहत आवेदन के रूप में मान लिया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। हालांकि आवंटन अधिकारी ने भू राजस्व नियम 1963 के तहत आवंटन किया जाना उल्लेखित किया है, लेकिन ऐसे नियम राजस्थान सरकार ने नहीं बना रखे हैं, उनके व्यक्तिगत नियम हो तो उनका विधि में कोई महत्व नहीं है। इसलिए जब 1963 के नियम नहीं होते हुये भी सक्षम अधिकारी ने अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में नियमों का गलत उल्लेख किया है तो आपत्तिकर्ता द्वारा गलत धारा लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए । साथ में यहां यह भी अति महत्वपूर्ण है कि धारा 136 के आवेदन को उसी आधार पर अधिकारी ने मामला धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का नहीं मानकर नियमन को मानकर उस रूप में उसे ट्रीट कर निर्णय पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by: Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

किया है। इसलिए उपरोक्त संदर्भ में हमारे द्वारा जो आपत्ति अपील के रूप में प्रस्तुत कर दी, उसे नियम 14 (4) के तहतत आवेदन मानकर निर्णय पारित करना न्यायोचित होगा।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट्स द्वारा प्रार्थी/अपीलांट्स की लिखत बहस का जवाब लिखित में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि– अपीलांट का दृष्टांत 2009 आरआरडी पेज 629 प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होता। राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 प्रकरण में लागू नहीं होते हैं । प्रकरण में राज0 काश्तकारी अधि0 की धारा 16 का उल्लेख किया गया है। विवादित जमीन ठिकाने के समय से ही पहाड़ दर्ज थी और बाद में भी पहाड़ दर्ज रही। ठिकाना खालसा होने के बाद राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार चारागाह के लिए पृथक नहीं की गयी। इस कारण विवादित गैर मु0 पहाड़ ग्राम पंचायत को न तो गठन होने पर सम्भलाया गया और नहीं कभी निहित किया गया। नियम 1970 के नियम 8 के तहत रेस्पोंडेंटस ने कोई आवेदन नहीं किया व उक्त नियम 1970 के तहत इस बात कोई उदघोषणा जारी नहीं की । इस कारण प्रकर में नियम 14 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, इसके अलावा रेस्पोडेंटस ने कोई भी तथ्य नहीं छुपाया । नियम 15 के अनुसार आदेश पारित नहीं किया गया । इससे साफ जाहिर है कि प्रकरण में उक्तनियम 1970 लागू नहीं होते है, इस कारण भी अपील को प्रार्थना पत्र में परिवर्तित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। विवादित भूमि ग्रामवासियान की सार्वजनिक नहीं रही। गत खसरा नरंबर 82 हाल खसरा नंबर 161 वाके ग्राम मारीगसर के बाबत सिविल न्यायालय से स्वामित्व व आधिपत्य का होना माना गया है जिसके लिए भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये है। जागीर खालसा होने पर व्यक्तिगत सूची व आय की सूची पेश की गई जिसमें निजी सम्पति होने का अंकन नक्शे सहित किया गया व डिप्टी कलक्टर जागीर झुंझुनू ने निर्णय पारित कर उक्त को स्वीकार करते हुये मुआवजा का भुगतान क–रने का निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनग्रहण अधि0 1952 के प्रावधान के अनुसार विवादित गत खसरा नंबर 82 स्वामित्व की रही है जिस पार गढ बने हुये हैं व विद्युत कनेक्शन है। राजस्थान सरकारी ओर से खसरा नंबर 161 के भाग को खनन कार्य के लिए लीज विलेख द्वारा दिया जा चुका व जिसके अनुसार निर्धारित राशि राजस्थान सरकार में जमा हो रही है। इन सभी तथ्यों का उल्लेख पूर्व में दिये गये जवाब में किया गया है। 2020 (3) डी.एन.जे. एस.सी. 993 पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि प्रभावित पक्षकार को ही चुनौती देने का हक होता है। अपीलाट्ट प्रभावित पक्षकर नहीं हैं। आदेश दिनांक 13.01.2016 में कृषि प[illegible] दर्ज नहीं है बल्कि स्वामित्व मालिक होने का तथ्य दर्ज है। अपील व प्रार्थना [illegible] किये गये जो खारिज होने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक ससम्मान अवलोकन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक निर्णय आर.एल.डब्ल्यू 2004 (3) राजस्थान पेज 2007, एवं सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.05.1968 गोरधन दास बनाम सीता बाई एवं ए.आई.आर. 2005 मध्यप्रदेश पेज नंबर 40 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । उक्त दोनों न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में लागू होते हैं। जिनमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अपील को आवेदन में तथा आवेदन को अपील के रूप में ट्रीट किया जा सकता है । मामले में आवेदन में वर्णित तथ्यों को पढ़ना चाहिए और किस वास्ते आवेदन किया गया है यह देखना आवश्यक है,इसके लिए यहां देखना यह है कि आपतिकर्तागण ने यह ही आपति की है कि यह भूमि न तो आवंटन योग्य थी, न आवंटी आवंटन के अधिकारी थे, न आवंटन की प्रक्रिया का पालन किया गया और नहीं भूमि आवंटन योग्य थी । आवंटन आदेश को पढ़ने से यह प्रलिक्षित होता है कि उन्होंने भू राजस्व (अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड एग्रीक्लचर प्रपेजेज) रूल्स 1970 के तहत उक्त आवंटन आदेश दिनांक 13.1.2016 जारी किया है। यदि ऐसा किया है तो इसकी आपत्ति भी भू राजस्व (अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड एग्रीक्लचर प्रपेजेज) रूल्स 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत ही की जा सकेगी । राजस्थान भू राजस्व (ऑलोटमेंट ऑफ लैण्ड पोर एग्रीक्लचर प्रपेजेज) नियम 14 (4) में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि आवंटन से प्रभावित पक्षकार ही आवंटन को निररस्त करने के लिए आवेदन करेगा। बल्कि नियम 14 (4) में स्पष्ट उल्लेख है कि नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कलेक्टर स्वतः ही आवंटन निरस्त कर सकता है जिसका तात्पर्य यही है कि नियमों के उल्लंघन का मामला कलेक्टर के संज्ञान में आना चाहिए। स्वतः संज्ञान में आता है या कोई भी व्यक्ति संज्ञान में लाता है, कैसी भी स्थिति हो कलेक्टर को नियमों के उल्लंघन पर गुणावगुण पर निर्णय करना है। भू राजस्व अधिनियम अपने आप में एक समुचित कोड है जिसके अन्तर्गत आवेदन/ अपील/ निगरानी व नजरशानी रिव्यु के प्रावधान दिये गये हैं।

यदि इस आपत्ति को प्रार्थी/अपीलांट द्वारा धारा 75 भू राजस्व अधिनियम में प्रस्तुत कर दी गई है तो भी गलत आवंटन की जानकारी होने पर मात्र गलत धारा में पेश होने के आधार पर इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। आवंटन अधिकारी ने भू राजस्व नियम 1963 के तहत आवंटन किया जाना उल्लेखित किया है, लेकिन ऐसे नियम राजस्थान सरकार ने नहीं बना रखे हैं, उनका विधि में कोई महत्व नहीं है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का यह कथन सही है कि जब 1963 के नियम नहीं होते हुये आवंटन अधिकारी ने अपने पदीय कर्तव्य के निरर्वहन में नियमों का गलत उल्लेख किया है तो आपत्तिकर्ता द्वारा गलत धारा लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए । धारा 136 के आवेदन में आवंटन अधिकारी ने मामला धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का नहीं मानकर नियमन का मानकर उस रूप में उसे ट्रीट कर निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Goar
Date: 2021.10.06 16:39:04 IST
Reason: Self Attested

पारित किया है। इसलिए उपरोक्त संदर्भ में जो आपत्ति अपील के रूप में प्रस्तुत कर दी गई है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये उसे भू-राजस्व (अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड एग्रीक्लचर प्रपेजेज) रूल्स, 1970 के नियम 14 (4) के तहत आवेदन के रूप में मान लिया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर हस्तगत प्रकरण को अपील के बजाय राजस्थान भू राजस्व (ऑलोटमेंट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीक्लचर प्रपेजेज) नियम 1970 के नियम 14 (4) में आपत्ति के रूप में तब्दील किया जाकर निर्णय पारित करना उचित एवं न्यायोचित समझता हूँ। भू राजस्व (अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड एग्रीक्लचर प्रपेजेज) रूल्स 1970 के नियम 14 (4) में आवेदन सुनने का क्षेत्राधिकार हाजा न्यायालय को प्राप्त है।

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र धारा- 96 सी.पी.सी-</u>

प्रार्थी/अपीलांट का कथन कि विवादित भूमि पुराना खसरा नंबर 82 तादादी 12 बीघा 16 विश्वा गैर मु0 पहाड़ी जिसके नये खसरा नंबर 161 तादादी 3.24 हैक्टर गै.मु. पहाड़ी वाके ग्राम मारिगसर हमेशा से स्मर्णातीत समय से चरागाह की भूमि रही है जिसे प्रार्थीगण व ग्रामवासियान मारिगसर व इनके पूर्वज अपने धनपशु चराने के काम में लगातार लेते आ रहे हैं। उक्त भूमि कभी किसी की खातेदारी व काबिल काश्त नहीं रही। अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेंट्स नंबर 1 लगायत 11 के हक में कानून के विरूद्ध इस भूमि का अदालत मातहत द्वारा आवंटन किया गया है जिससे स्वयं प्रार्थीगण/अपीलांटस व अन्य ग्रामवासियान के सामुहिक हित प्रभावी हुये हैं।

राज0 भू राजस्व भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि आवंटन से प्रभावित पक्षकार ही आवंटन को निररस्त करने के लिए आवेदन करेगा। बल्कि राज0 भू राजस्व भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) में स्पष्ट उल्लेख है कि नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कलेक्टर स्वतः ही आवंटन निरस्त कर सकता है, जिसका तात्पर्य यही है कि नियमों के उल्लंघन का मामला कलेक्टर के संज्ञान में आना चाहिए। स्वतः संज्ञान में आता है या कोई भी व्यक्ति संज्ञान में लाता है, कैसी भी स्थिति हो कलेक्टर को नियमों के उल्लंघन पर गुणावगुण पर निर्णय करना है। भू राजस्व अधिनियम अपने आप में एक समुचित कोड है जिसके अन्तर्गत आवेदन/ अपील / निगरानी व नजरशानी रिव्यु के प्रावधान दिये गये हैं। इसके साथ साथ रेवन्यू कोर्ट मैन्युवल बना हुआ है उसमें दी गई प्रक्रिया से ही रेवन्यू कोर्ट शासि[illegible] हैं। धारा 96 सी.पी.सी. अपील के प्रावधान के लिए है। प्रस्तुत मामला अपील नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: Self Attested

राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 [illegible] राजस्व भूमियों की प्रथम जमाबंदी सम्वत 2012 से 2015 तक बनी जिसमें जमीन पुराना खसरा नंबर 82 तादादी 12 बीघा 16

विश्वा वाके ग्राम मारिगसर गैर मु. पहाड़ी (चारागाह) दर्ज करते हुये कृषि योग्य नहीं बताया गया है तथा इसे चराई के योग्य दर्शाया जाकर इसे पहाड़ /पहाड़िया होना दर्ज किया है। जमाबंदी सम्वत 2012 से 2015 तक में भी इस भूमि के रेस्पोंडेटस स्वयं या इनके पूर्वजों की खातेदारी में होना या उनके मालिकाने अधिकार की होना कहीं भी नहीं दर्शाया गया है। उसके बाद की लगातार बनी जमाबंदियों सम्वत 2016 से 2019, 2020 से 2020 से 2023, सम्वत 2024 से 2027, सम्वत 2028 से 2032, सम्वत 2032 से 2035 व सम्वत 2041 से 2044 तक में इसकी किश्म गै. मु. पहाड़ (चारागाह) हेतु राजकीय खाता में दर्ज रहीं है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 में भी इस भूमि को कभी रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगायत 11 अथवा इनके पूर्वजों के नाम से कभी भी खातेदारी दर्ज की जाकर इनके द्वारा काश्त किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार विवादित भूमि की किस्म गैर मु.पहाड़ चारागाह हेतु होने के कारण ग्रामवासियों का हित प्रभावित होना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/अपीलांट को उक्त प्रार्थना–पत्र/अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम–</u>

उक्त भूमि दिनांक 13.01.2016 को आवंटित की है जो अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से राजकीय चारागाह भूमि प्राप्त की है जिसको चुनौती देने की कोई मियाद नहीं है, अवैध आवंटन के लिये माननीय राजस्व मण्डल के न्यायियक निर्णय आरआरडी पेज 2009 पेज नंबर 629 में ऐसे आवंटन की कोई मियाद नहीं मानी है।

हस्तगत प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुआ है। जिसमें दिनांक 01.7.2015 को राजस्व लोक अदालत में सहमति के आधार पर प्रकरण धारा 136 एल0आर0 एक्ट का नहीं मानकर नियमन का माना है। तहसीलदार ने नियमन हेतु उपखण्ड अधिकारी को प्रकरण प्रेषित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 8.1.2016 को उक्त प्रकरण संख्या 36/2013 में यह उल्लेखित किया है कि उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन करने हेतु भूमि आवंटन समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। अतः दिनांक 12.01.2016 को सलाहकार समिति के समस्त पक्षकार उपस्थित हों और फिर उन्होंने गैरआवेदनकर्ता को भूमि आवंटन आदेश में किस नियम के तहत आवंटित की है। आवंटन नियम 1970 के नियम 2 की धारा 3 (बी) भूमिहीन कृषक को परिभाषित किया है जिनके तहत सरकारी कर्मचारी अथवा उन पर आश्रित व्यक्ति भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते है। प्रकरण में आवंटी दर्शन सिंह के दो पुत्र गोविन्द सिंह व भरत सिंह सरकारी सेवा में संलग्न है जिसका रिकार्ड पत्रावली पर मौजुद है। इसके साथ आवंटी महेन्द्र सिंह सरकारी सेवामें है जिसका भी सरकारी सेवामें होने का रिकार्ड पत्रावली पर है। इसलिए ऐसे व्यक्ति आवंटन के अधिकारी नहीं है। कानून जब प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

मैरिट हो तो मियाद कोई मायना नहीं रखती। भू राजस्व (अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड एग्रीक्लचर प्रपेजेज) रूल्स 1970 के नियम 14 (4) में आवेदन होता है तो उसकी कोई मियाद नहीं है। प्रकरण में मैरिट है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र/अपील अंदर मियाद मानी जाती है।

निर्णय प्रार्थना पत्र भू राजस्व (अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड एग्रीक्लचर प्रपेजेज) रूल्स1970 के नियम 14 (4)

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से विवादित भूमि मिसल हकीयत 1999 के अवलोकन से पुराना खसरा नंबर 82 तादादी 12 बीघा 16 विश्वा मकबूजा ठिकाना दर्ज है। प्रथम जमाबंदी सम्वत 2012 से 2015 तक बनी जिसमें जमीन पुराना खसरा नंबर 82 तादादी 12 बीघा 16 विश्वा वाके ग्राम मारिगसर गैर मु. पहाड़ी (चारागाह) पहाड़ /पहाड़िया होना दर्ज किया है। जमाबंदी सम्वत 2012 से 2015 तक में भी इस भूमि को रेस्पोंडेटस स्वयं या इनके पूर्वजों की खातेदारी में होना कहीं भी नहीं दर्शाया गया है। उसके बाद की लगातार बनी जमाबंदियों सम्वत 2016 से 2019, सम्वत 2020 से 2023, सम्वत 2024 से 2027, सम्वत 2028 से 2032, सम्वत 2032 से 2035 व सम्वत 2041 से 2044 तक में इसकी किश्म गै.मु. पहाड़ (चारागाह) हेतु राजकीय खाता में दर्ज रहीं है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 में भी इस भूमि को कभी रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगायत 11 अथवा इनके पूर्वजों के नाम से कभी भी खातेदारी दर्ज की जाकर इनके द्वारा काश्त किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंटस नंबर 1 लगायत 11 का पुराना खसरा नंबर 82 तादादी 12 बीघा 16 विश्वा भूमि से कभी कोई सरोकार नहीं रहा। नये सेटलमेंट के दौरान जमीन पुराना खसरा नंबर 82 तादादी 12 बीघा 16 विश्वा वाके ग्राम मारिगसर के नये खसरा नंबर 161 तादादी 3.24 हैक्टर ग्राम मारिगसर डाले गये। जमीन खसरा नंबर 161 की जमाबंदी सम्वत 2060 से 2063 सम्वत 2062 से 2065, सम्वत 2066 से 2069 सम्वत 2070 से 2073 इस भूमि के कृषक कालम में पहाड़ी तथा पर्वत (चारागाह) हेतु दर्ज किया जाता रहा है। धारा 16 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट सनू 1955 के प्रावधानों के अनुसार किसी चारागाह की भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार पैदा नहीं होते। चारागाह की भूमि को किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत अधिकार के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। कानून की उक्त व्यवस्था के बावजूद उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू से रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगायत 11 व रेस्पोंडेंट नंबर 12 लगायत 7 के पिता हनुमान सिंह ने एक पत्रावली उनवानी हनुमानसिंह वगैरह बनाम राज0 सरकार प्रकरण संख्या 36/2013 अं0 धारा 136 राज0 लैंड रेवेन्यू एक्ट में दिनांक 13.1.2016 को उक्त चरागाह की भूमि खसरा नंबर 161 तादादी 3.24 हैक्टर गै.मु. पहाड़ वाके मारिगसर को अप्रार्थीगण नंबर 5 से 7 के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 13:39:04 IST
Reason: SelfAttested

हनुमान सिंह मदन सिंह के वारिसान रेस्पोडेंट नंबर 8 लगायत 11 के हक में आवंटित/नियमन किये जाने का आदेश करवा लिये गये।

हस्तगत प्रकरण में प्रथम तो आवंटन आदेश को पढ़ने मात्र से यह पता ही नहीं चलता है कि आवंटियों को यह भूमि क्यों तो आवंटित कर दी और किन नियमों के तहत उक्त भूमि आवंटित की है। मामला नियमन का माना जा रहा था। आवंटियों ने आवंटन के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया। भूमि गैर मु0 पहाड़ी चारागाह हेतु उपलब्ध बतायी है जो भूमि कृषि योग्य नहीं है और आवंटन अधिकारी को आवंटन का अधिकार नहीं है। आवंटन भू राजस्व नियम 1963 के तहत किया गया है ऐसा कोई नियम नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रकरण को जिस रूप में आवंटन अधिकारी ने प्रस्तुत किया है उससे यह स्पष्ट प्रलिक्षित होता है कि आवंटन कृषि भूमि प्रयोजनार्थ किया गया है और यदि कृषि प्रयोजनार्थ किया गया है तो इसकी आपत्ति उक्त नियमों के नियम 14 (4) के तहत मानी जायेगी। भूमि की किस्म गैर मु0 पहाड़ चारागाह प्रयोजनार्थ दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधि0 की धारा 5 (24) में जो कृषि भूमि की परिभाषा दी है उसमें गैर मु0 अर्थात चारागाह प्रयोजनार्थ भूमि को सम्मिलित नहीं किया गया है। आवंटन शुदा भूमि में निश्चित अवधि के बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। चारागाह प्रयोजनार्थ भूमि गांव के पशुओं के लिये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आती है। राजस्थान काश्तकारी अधि0 की धारा 16 (4) में चारागाह भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 (4) में यह स्पष्ट प्रावधान किया कि धारा 16 राज0 काश्तकारी अधि0 के अधीन आने वाली भूमि आवंटन योग्य नहीं होगी तथा विभिन्न निर्णयों में माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऐसा ही मत व्यक्त किया है। न्यायिक निर्णय आर.आर.डी. 1998 राजस्व मण्डल पेज नं0 334, आर.आर.डी 1988 पेज नंबर 664, आर.आर.डी 2010 डी.बी. पेज 250 का अवलोकन किया गया। उपरोक्त तीनों निर्णयों में स्पष्ट रूप से सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि गैर मु0 पहाड़ की भूमि आवंटन योग्य नहीं है। आवंटन के संबंध में भू–राजस्व (ऑलाटमेन्ट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीक्लचर प्रपेजेज) नियम 1970 में आवंटन की प्रकिया बतायी गई है जिसमें सबसे पहले नियम 2 तृतीय बी के अन्दर भूमिहीन कृषक को परिभाषित किया है और भूमिहीन कृषक ही आवंटन का अधिकारी बताया हे। इस नियम तृतीय बी की उपधारा (ए) में यह स्पष्ट प्रावधन दिया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या उस पर आश्रित व्यक्ति भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी महेन्द्र पुत्र उम्मेद सिंह और दर्शन सिंह पुत्र गोविन्द सिंह एवं भरत सिंह सरकारी सेवामें हैं, इसलिए वे आवंटन के अधिकारी नहीं है। इस संबध में न्यायिक दृष्टांत आर.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

आर.डी. 2009 राजस्थान उच्च न्यायालय पेज नंबर 60 एवं आर.आर.डी. 2010 पेज नंबर 250 लागू होते हैं।

भू–राजस्व (ऑलाटमेन्ट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीक्लचर प्रपेजेज) नियम, 1970 में जो आवंटन की प्रकिया बताई है उसके नियम 5 में यह बताया है कि तहसीलदार प्रत्येक वर्ष में 30 सितम्बर तक आवंटन योग्य भूमियों की प्रत्येक गांव की सूची तैयार करेगा और सूची फार्म प्रथम में तैयार करेगा और उसकी एक प्रति संबंधित उपखण्ड अधिकारी व क्षेत्रीय वन अधिकारी को प्रेषित करेगा व नियम 7 में यह उल्लेख किया है कि उपखण्ड अधिकारी फार्म द्वितीय में भूमिहीन कृषकों से आवेदनर पत्र आमंत्रित करेगा जिसका समय 15 दिन होगा, तत्पश्चात् आवेदक जो भूमिहीन कृषक है जो फार्म तृतीय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगें व उक्त फार्म सी.पी.सी. के प्रावधानों की तरह प्रमाणित होगा। समस्त आवेदनों की नियम 10 में तहसीलदार से योग्य होने की जांच करवायेगा तथा नियम 13 में यह उल्लेखित है कि आवंटन सलाकार समिति में जो 7 सदस्य हैं, उन सातों को एक सप्ताह पूर्व का नोटिस देकर उनकी सभा आहुत करेगा और वह सभा जिस गांव में भूमि आवंटन योग्य है, उस गांव में जाकर सभा करेंगे, लेकिन इस प्रकरण में नियम 5, 7, 8, 9, 10, व 13 की कोई पालना नहीं की गई है। न तो नियमानुसार किसी का अवेदन है, न भूमि की सूची बनाई गई है, न सलाहकार समिति के सदस्यों को विधिक नोटिस दिया गया है। ना ही आवंटन के लिए आवेदन पत्र मांगे गये। नियमों में यह भी प्रावधान है कि आवंटी के पक्ष में फार्म 5 में अलॉटमेंट आदेश जारी होगा, फार्म नंबर 6 में सनद जारी होगी और आवंटन आदेश एवं सनद फार्म 5 व 6 में होगें एवं उसी आधार पर नामांतरकरण भरा जावेगा एवं नियम 15 3 में दिया गया है कि पटवारी मौके पर जाकर कब्जा सम्भलायेगा । इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ का न्यायिक निर्णय आर.आर.डी. 2010 पेज नं0 250 लागू होता है। हस्तगत प्रकरण में समस्त कार्यवाही विधिक प्रावधानों एवं नियमों से बाहर जाकर की गई है। आवंटन नियम 1970 के नियम 14 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि आवंटन अधिकारी उसका लगान तय करेगा और आवंटी उक्त जमीन को नियमित रूप से काश्त करेगा 3 वर्ष तक वह गैर खातेदार रहेगा, शर्तों की पालना करने पर 3 वर्ष बाद हल्का पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट आने पर उसे खातेदार घोषित किया जा सकेगा। शर्तों के उल्लंघन होने पर उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में न तो लगान तय किया गया। खसरा गिरदावरी के मुताबिक उन्होंने काश्त नहीं की, क्योंकि भूमि काश्त के योग्य थी ही नहीं, उसे तो सीधे ही खातेदार घोषित नहीं कर स्वामी ही घो[illegible] 101 भू राजस्व अधि0 की उपधारा 2 में आवंटित भूमि का लगा[illegible] है व शर्तों की पालना करना आवश्यक बताया है। इस संबंध में आर. आर. डी. 2010 पेज 2012 न्यायिक निर्णय हस्तगत प्रकरण में लागू होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 16:39:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि आवंटी के पास आवंटित भूमि का पूर्व में उसे प्राप्त खातेदारी की भूमि का कुल योग 4 हैक्टर से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि सभी आवंटियों के पास आवंटन से पूर्व ही 4 हैक्टर से अधिक भूमि होने के कारण वह आवंटन के अधिकारी ही नहीं थे। लेकिन आवंटन अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा नियम 10 के तहत इस तथ्य की जांच नहीं की गई। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1982 पेज 520 हस्तगत प्रकरण में लागू होता है। प्रकरण में मदन सिंह के वारिसान आवेदक संख्या 8, 9, 10 व 11 को भूमि आवंटित की गई है। उन्होंने कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। मदन सिंह की मृत्यु दिनांक 22.11.2014 को ही होना बताया गया है। मृत व्यक्ति के वारिसान के पक्ष में अबैटमेंट निरस्त किये बिना उनके वारिसान को रिकार्ड पार लिये बिना उनके पक्ष में आवंटन किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश के अंदर यह शर्त रखी गई थी कि भूमि का बेचान नहीं करेगा, लेकिन आवंटन के 3 वर्ष बाद ही उक्त भूमि में से 1.32 हैक्टर भूमि विक्रय कर दी है जो आवंटन की शर्त का स्पष्ट उल्लंघन है। आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ किया गया था, लेकिंन अप्रार्थीगण ने भूमि विक्रय कर दी तथा क्रेता ने खनन विभाग से पट्टा प्राप्त कर खनन कार्य चालू कर दिया, जिससे आवंटन की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अनुसार आवंटन धोखे से व अनाधिकृत रूप से नियम विरूद्ध किया गया है तो जिला कलक्टर को स्वतः ही प्रसंज्ञान लेकर कार्यवाही को रद्द करने की कार्यवाही करने के प्रावधान हैं, उसमें धारा व फोरम औपचारिकताऐं महत्वहीन हैं । समस्त राजस्व रिकार्ड से विवादित भूमि खसरा नंबर 161 तादादी 3.24 हैक्टर वाके ग्राम मारिगसर गैर मु. पहाड़ गोचर भूमि चारागाह है। कानून चारागाह भूमि पर ना तो किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते और ना ही चारागाह भूमि को किसी के हक में नियमन/आवंटन किया जा सकता।

उपरोक्त विवेचन से साबित है कि हस्तगत प्रकरण में आवंटन अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों एवं नियमों से बाहर जाकर चारागाह की भूमि को आदेश दिनांक 13.01.2016 द्वारा राजस्व विभाग के निर्देशों एवं राजस्थान भू–राजस्व नियम 1963 का हवाला देते हुये भूमि खसरा नंबर 161 रकबा 3.24 हैक्टर किस्म गैर मु0 पहाड़ का अप्राथी नंबर 1 लगायत 11 के हक में आवंटित किये जाने का आदेश दिया गया है। अप्रार्थीगण नंबर 1 से 11 को मालिकाना हक दिये जाने का आदेश भी विधिक प्रावधानों के विरूद्ध जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार से तथ्यों की विवेचना किये आदेश दिनांक 13.01.2016 पारित किया गया है जो विधिक प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत [illegible] है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। वि

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 13.01.2016 को निरस्त किया जाता है । खसरा नंबर 161 रकबा 3.24 हैक्टर ग्राम मारिगसर तहसील झुंझुनू के राजस्व रिकार्ड में पूर्ववत राजकीय गैर मु. पहाड़ी चरागाह हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

5-10-2021

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5-10-2021

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.06 18:39:04 IST
Reason: SelfAttested